राष्ट्रीय न्यास

वार्षिक प्रतिवेदन

2020-21

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता एवं दिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110 060 दूरभाष: 011 43187878
ईमेल: contactus@thenationaltrust.in **वेबसाइट:** www.thenationaltrust.gov.in

श्रीमती शकुंतला डी गामलिन, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास,
श्री निकुंज किशोर सुंदराय, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय न्यास के अन्य अधिकारियों की समूह तस्वीर

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

समर्थ सशक्त संगठित

राष्ट्रीय न्यास

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण

(सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

ई–मेलः: contactus@thenationaltrust.in; वेबसाइट: www.thenationaltrust.gov.in

डा. वीरेन्द्र कुमार
DR. VIRENDRA KUMAR
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

कार्यालय: 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाष: 011-23381001, 23381390, फैक्स: 011-23381902
ई-मेल: min-sje@nic.in

संदेश

राष्ट्रीय न्यास की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के लिए संदेश साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। महामारी ने हम सभी को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नए एवं किफ़ायती साधनों को ढूँढने के लिए प्रेरित किया है। मैं राष्ट्रीय न्यास द्वारा हितधारकों पर COVID-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और कार्यान्वित किए गए निर्णयों, की सराहना करता हूं। इस निर्णय के फलस्वरूप राष्ट्रीय न्यास के हितधारकों को सेवाएं प्रदान करने की निरंतरता बनी हुई है।

मैं राष्ट्रीय न्यास के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ।

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

रामदास आठवले
RAMDAS ATHAWALE

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मुझे राष्ट्रीय न्यास की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के लिए संदेश लिखते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड द्वारा दिव्यांगजन के लाभ के लिए "नए सामान्य" को संप्रेषित करने और योजनाओं के दिशा-निर्देशों को संशोधित करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करता हूँ। हमारे संगठनों, दिव्यांगजनों और उनके माता-पिता ने इस महामारी के समय में जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है, उससे कई और नए विचारों के द्वार खुल गए हैं।

मैं भविष्य में भी विभाग के बेहतर प्रदर्शन की कामना करता हूँ।

28-7-2021

(रामदास आठवले)

Room No. : 101, 'C' Wing, Shastri Bhawan, Dr Rajender Prasad Road, New Delhi-110001, Tel. : 011-23381656, 23381657, Fax : 011-23381669

ए. नारायणस्वामी
A. NARAYANASWAMY

सत्यमेव जयते

D.O. No....119...../MOS/SJ&E-AN/VIP/20...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

राष्ट्रीय न्याय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के लिए अपने सुविचार व्यक्त करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रीय न्यास इस कोविड महामारी के दौरान ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को नवीनतम तकनीक और सीमित साधनों के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए जिस प्रकार निरंतर प्रयास कर रहा है, वह अद्भुत है।

मेरा आशीर्वाद और सहयोग हमेशा इस विभाग और राष्ट्रीय न्यास के द्वारा इन दिव्यांगजनों के लाभ के लिए की जा रही सभी पहलों के लिए उपलब्ध है।

(ए. नारायणस्वामी)

Office : 301, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr Rajender Prasad Road, New Delhi-110001, Tel. : 011-23072192, 23072193, Fax : 011-23072194
Residence : 401, Ganga Apartment, Dr. B.D. Marg, New Dehi-110001, Ph.: 011-23310480, 08194-235001
E-mail : mpchitradurgaanswamy@gmail.com, a.narayanaswamy@sansad.nic.in

प्रतिमा भौमिक
PRATIMA BHOUMIK

सत्यमेव जयते

No.108/MPIMOS(SJE)/2021
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

आप सभी के साथ वार्षिक रिपोर्ट का संदेश साझा करना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मैंने हमेशा दिव्यांगजनों के लाभ के लिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना की है। कोविड महामारी का हम सब पर प्रतिकूल प्रभाव होने पर भी, राष्ट्रीय न्यास द्वारा अपने लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए उठाए गए कदमों की मैं सराहना करती हूं। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान हमारे लाभार्थियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भोजन, दवाओं जैसी बुनियादी वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा करती हूँ। स्वयंसेवी संगठनों का जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करना अनुकरणीय है।

मैं राष्ट्रीय न्यास के लिए आने वाले कई और सफल वर्षों की कामना करती हूं।

(प्रतिमा भौमिक)

Office : 251, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr Rajender Prasad Road, New Delhi-110001, Tel. : 011-23383757, 23383745, Fax : 011-23074097
E-mail : pratima.bhoumik@nic.in; mosoffice-depwd@nic.in

अंजली भावड़ा, भा.प्र.से.
सचिव
Anjali Bhawra, IAS
Secretary

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

संदेश

मुझे राष्ट्रीय न्यास की २१वीं वार्षिक रिपोर्ट के लिए संदेश साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैंने 8 अप्रैल 2021 से सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं अध्यक्षा, राष्ट्रीय न्यास के रूप में कार्यभार संभाला।

पिछले वर्ष ने प्रौद्योगिकी के मामले में अवसरों के द्वार खोल दिए हैं जिनका उपयोग दिव्यांगजनों के लाभ के लिए किया जा सकता है। हमने देखा और अनुभव किया है कि हम डिजिटल वर्ल्ड के जरिए दूर से भी जुड़े रह सकते हैं। मुझे विश्वास है कि दिव्यांग युवा डिजिटल प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने कौशल, प्रतिभा और ज्ञान से जगमगायेंगे और सभी सीमाओं को पार करेंगे। इस क्षेत्र में और अधिक शोध की आवश्यकता है ताकि निकट भविष्य में हम अपने दिव्यांग साथियों को सशक्त बनाने में सक्षम हो सकें।

इस संक्षिप्त अवधि में राष्ट्रीय न्यास ने दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया है। राष्ट्रीय न्यास ने 7 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए National Convention on Digital Best Practices and North East Summit का आयोजन किया। कन्वेंशन ने प्रतिभागियों को सहायक तकनीकों से अवगत कराया जो दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए कारगर साबित हो सकता है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय न्यास अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे सम्मेलन आयोजित करता रहेगा।

मुझे लगता है कि पृथक रूप से काम करने की अपेक्षा हमें अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को एक साथ लाना चाहिए ताकि हमारी गतिविधियों का विस्तार हो सके और हम उन दिव्यांगजन तक पहुँचने में सक्षम हों, जो अब तक पहुंच से बाहर हैं। आवश्यकता के अनुसार विस्तार के लिए मौजूदा गतिविधियों में रास्ते और साधन खोजने के लिए नए विचारों का होना आवश्यक है। मैं हितधारकों के रूप में आपसे सुझाव आमंत्रित करती हूं कि कैसे हम अपने कामकाज में सुधार कर सकते हैं और इसे लाभार्थियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं।

मैं अपने पूर्वाधिकारी सुश्री शकुंतला डी. गामलिन को भी धन्यवाद देना चहुंगी कि उनके मार्गदर्शन में विभाग ने नए दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया

अंत में, मैं दिव्यांगजनों, उनके माता-पिता, विशेषज्ञों और संगठनों को मूल्यवान हितधारकों के रूप में धन्यवाद देती हूं जो हमारे साथ मिलकर दिव्यांगजन के लिए बेहतर वातावरण देने का प्रयास कर रहे हैं।

अंजली भावड़ा

(अंजली भावड़ा)

5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली–110 003
5th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhavan,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003

Telefax : 011-24369055
Tel. : 011-24369067
E-mail : secretaryda-msje@nic.in

शकुन्तला डौले गामलिन, भा.प्र.से.
सचिव
Shakuntala Doley Gamlin, IAS
Secretary

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

अध्यक्ष की रिपोर्ट

मैं राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के सदस्यों, पंजीकृत संस्थाओं एवं हितग्रारकों का स्वागत करती हूँ।

आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय न्यास चार श्रेणियों के दिव्यांगजन के जीवन को सशक्त बनाने के लिए बहुत कम कर्मचारियों के साथ उत्साहपूर्वक काम कर रहा है। राष्ट्रीय न्यास इन व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न आयु समूहों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करके कई प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है - दिशा प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना 0 से 10 वर्ष के लिए), विकास (10 + वर्ष के लिए डे केयर योजना), दिशा-सह-विकास, समर्थ (राहत देखभाल आवासीय योजना), घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) और समर्थ-सह -घरौंदा योजना (केंद्र आधारित योजनाएं)। इनके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना "निरामया" के अंतर्गत इस वर्ष 1,74,929 लाभार्थियों का नामांकन किया गया।

राष्ट्रीय न्यास ने इस वर्ष अपनी केंद्र-आधारित योजनाओं के तहत प्रारंभिक वित्त पोषण प्रतिरूप को बहाल किया है, जो 01.04.2018 से वित्तीय बाधाओं के कारण कम हो गया था।

COVID-19 महामारी को देखते हुए, राष्ट्रीय न्यास ने अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस संबंध में, राष्ट्रीय न्यास ने अपने सभी परियोजना धारकों और पंजीकृत संस्थाओं (आरओ) को दिशा-निर्देश जारी किए और सलाह दी कि वे व्हाट्सएप, मीटिंग ऐप और सभी नवीन माध्यमों से COVID-19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति में लाभार्थियों और उनके माता-पिता तक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए पहुंचें और सेवाएँ जारी रखें।

राष्ट्रीय न्यास ने COVID19 पर केंद्रित ई-न्यूज़लेटर का अपना तीसरा अंक जारी किया, ताकि लोग महामारी से लड़ने के लिए इसके लक्षणों और रोकथाम के बारे में जागरूक हो सकें।

राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) गठित करने का अनुरोध किया जा रहा है। राज्य सरकार के सचिव जो निःशक्तता मामलों को देख रहे हैं उसके अध्यक्ष हैं और संबंधित राज्य का SNAC समिति का संयोजक हैं। अब तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में SLCC का गठन किया जा चुका है।

मेरा अनुरोध है कि हमारी पंजीकृत संस्थाएं, जो राष्ट्रीय न्यास के पथ प्रदर्शक हैं, दिव्यांगजनों के माता-पिता एवं स्थानीय स्तरीय समितियों, जिनकी राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, इन दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में हमारे प्रयासों में मदद करें। ।

5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110 003
5th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhavan,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
Tel. : 011-24369067
Fax : 011-24369055
E-mail : secretaryda-msje@nic.in

देश के हर कोने में रहने वाले दिव्यांगजन को सशक्त एवं उनके जीवन को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय न्यास के कामकाज और योजनाओं के बारे में आम जनता को जागरूक करना होगा। राज्य और जिले के सरकारी पदाधिकारियों के संवेदीकरण और प्रशिक्षण के लिए और अधिक व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है।

मैं, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, माननीय राज्य मंत्रियों, दिव्यांगजन स:शक्तिकरण विभाग के अधिकारियों और राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद करती हूँ।

मुझे आशा है कि भविष्य में भी दिव्यांगजन स:शक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और कार्यक्रमों में रुचि दिखाते हुए निरंतर वित्त पोषण सहायता के साथ, उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग देगा। इस वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय न्यास इस क्षेत्र में काम करने वाले दूर दराज़ क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं की मदद से अपनी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजन तक पहुंचा पाएगा।

शकुंतला डी. गामलिन

(शकुंतला डी. गामलिन)
सचिव
दिव्यांगजन स:शक्तिकरण विभाग
एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड

Nikunja Kishore Sundaray

Joint Secretary & Chief Executive Officer
The National Trust
Department of Empowerment of
Persons with Disabilities (Divyangjan)
Ministry of Social Justice & Empowerment

संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

मैं राष्ट्रीय न्यास के सभी बोर्ड सदस्यों, राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत सभी संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों का वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 में स्वागत करता हूं।

1.4.2020 से लाभार्थियों को सेवा की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने और योजना केंद्रों को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान, सभी योजनाओं के तहत मासिक सहायता अनुदान को उसकी मूल दरों पर बहाल करने के लिए एक उल्लेखनीय निर्णय लिया गया था। धन की कमी के कारण 1.4.2018 से मासिक अनुदान सहायता कम दरों पर प्रदान की गई थी।

COVID 19 महामारी के कारण कई प्रतिबंधों के बावजूद, दिशा, विकास, दिशा–सह–विकास, समर्थ, घरौंदा और समर्थ–सह–घरौंदा जैसी हमारी सभी योजनाओं के परियोजना धारकों को समय पर सहायता अनुदान जारी किया गया था। हालांकि COVID –19 महामारी के कारण, लाभार्थियों की उपस्थिति कम थी, लेकिन परियोजना धारकों को पूरी धनराशि प्रदान की गई क्योंकि उन्हें ऑनलाइन मोड के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय न्यास ने 15.05.2020 को परियोजना धारकों को की जाने वाली गतिविधियों का विवरण देते हुए दिशा–निर्देश जारी किए, ताकि लाभार्थी और माता–पिता संगठन से जुड़े रहें और आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करें। परियोजना धारकों को उन लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया जो अपने घरों पर COVID19 के कारण केंद्रों पर नहीं आ पा रहे हैं, जिसमें सूखे राशन की आपूर्ति भी शामिल है।

COVID 19 पूर्ण तालाबंदी के दौरान दिल्ली के जावेद और फिरोजपुर के लवप्रीत नाम के दो लापता दिव्यांगजनों को उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाने में स्थानीय अधिकारियों, बोर्ड के सदस्यों, SNAC और अमृतसर और जबलपुर के पंजीकृत संगठनों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है।

हमने वर्ष के दौरान 93 संगठनों को पंजीकृत किया है और अब हमारे पास पूरे देश में राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत कुल 676 संगठन हैं। वर्ष के दौरान, देश के प्रत्येक जिले में स्थानीय स्तर की समितियों (एलएलसी) को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए निरंतर अनुवर्ती उपाय और प्रयास शुरू किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 31 मार्च, 2021 तक देश में 694 एलएलसी का गठन किया जा चुका है और राष्ट्रीय न्यास की योजना प्रबंधन प्रणाली में कानूनी संरक्षकता के 4377 सत्यापित मामले दर्ज किए गए हैं।

जब पूरा देश COVID 19 के कारण बंद था, राष्ट्रीय न्यास ने 1 जून 2020 से 24 जून, 2020 तक एक या दो राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर हर दिन वेबिनार बैठकें आयोजित कीं । विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन/संगठन के नवीनीकरण/नवीकरण, स्थानीय स्तर की समिति, कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति, निरामय योजनाओं आदि के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों/आरओ के

आरपीडब्ल्यूडी पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र जारी किए गए थे। वेबिनार में राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड सदस्यों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विभागों के राज्य सरकार के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

हमारी डे केयर योजनाओं के लिए 2624 और राहत/आवासीय देखभाल योजनाओं के तहत 718 लाभार्थी हैं। निरामया में, हमने वर्ष के दौरान रिकॉर्ड संख्या में लाभार्थियों, यानी 174979 लाभार्थियों को कवर किया है।

वर्ष के दौरान, हमने कुल मिलाकर रु.32.68 करोड, डे केयर योजनाओं, आवासीय देखभाल योजनाओं और स्वास्थ्य बीमा योजना सहित हमारी योजनाओं और गतिविधियों पर, जिसमें से रु 8.81 करोड़ हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना–निरामया के तहत हमारे लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में खर्च किए गए हैं।

''संपर्क–जरूरत के समय'' योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत आने वाले दिव्यांगजनों को प्रा. तिक आपदाओं जैसे चक्रवात, भूकंप और बाढ़ आदि में 100 दिनों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 2019 की अंतिम तिमाही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 100 दिनों के लिए लागू की गई थी, जिसे विभिन्न कारणों से मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत दिव्यांगजनों की आवश्यकता के आकलन और निरामया योजना में निःशुल्क नामांकन का प्रावधान है।

यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हंस फाउंडेशन ने राष्ट्रीय न्यास की निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए वित्तीय सहायता जारी रखी है और हम उनकी साझेदारी के साथ अपने क्षितिज का विस्तार करने की उम्मीद करते हैं।

मुझे उपरोक्त पूरे वर्ष की प्रगति को प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है, मैं उन दानदाताओं की सराहना करता हूं जो अपने दान के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास में योगदान करते हैं।

तत्कालीन माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ थावरचंद गहलोत और माननीय राज्य मंत्री श्री .ष्ण पाल गुर्जर, श्री रामदास अठावले और तत्कालीन सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास श्रीमती शकुंतला डी गामलिन के मार्गदर्शन में काम करने का यह एक शानदार अनुभव था। मुझे आशा है कि वर्तमान माननीय मंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार, माननीय राज्य मंत्री, श्री ए नारायणस्वामी और कु प्रतिमा भौमिक से इस तरह को समर्थन मिलता रहेगा । मुझे आशा है कि सुश्री अंजलि भवरा, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्षता में यह कार्यालय और उपलब्धियां हासिल करेगा ।

पंजीकृत संगठन राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने और लाभार्थियों और उनके माता–पिता/परिवार के सदस्यों को सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं इस अवसर पर दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी पंजीत संगठनों के समर्पण के लिए उनकी सराहना और सलाम करता हूं।

निकुंज किशोर सुंदराय
संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

किशोर बा. सुरवाड़े, आईएसएस
उप महानिदेशक
Kishor B. Surwade, ISS
Deputy Director General

Tel. : 011-24364394
Fax : 011-24364395
Mobile . 09764339968
E-mail : ddg-depwd@gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स
लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110 003
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
5th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003

उप महानिदेशक तथा संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश (अतिरिक्त प्रभार)

(12 अक्तूबर 2020 to जुलाई 2021)

मुझे राष्ट्रीय न्यास की वार्षिक रिपोर्ट के लिए संदेश देने में हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। थोड़े अंतराल के लिए ही सही पर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्रीय न्यास से सीधे तौर पर जुड़ पाया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में Deputy Director General (DDG) का कार्यभार संभालने से मुझे इस क्षेत्र की जरूरतों की जानकारी तो है पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार मिलने से मेरा अनुभव बढ़ा है।

जब मैंने अतिरिक्त कार्यभार संभाला तब COVID-19 महामारी अपने चरम पर आ गयी थी। मेरी पहली प्राथमिकता बोर्ड बैठक और वार्षिक आम बैठक का आयोजन करना था, जो महामारी के कारण विलंबित हो रही थी। हम वर्चुअल मोड के माध्यम से दो बोर्ड बैठकें आयोजित करने में सफल हुए।

नेशनल ट्रस्ट की 20वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 15 दिसंबर 2020 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। एजीएम में कुल 331 हितधारकों ने भाग लिया। बैठक में इस वर्ष के दौरान की गई प्रगति की जानकारी दी गई। प्रगति के बाद, पंजीकृत संस्थाओं एवं अन्य प्रतिभागियों के साथ विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत चर्चा आरंभ हुई जिसमे उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर स्पष्टीकरण दिया गया। राष्ट्रीय न्यास की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई और उन में सुधार के लिए सुझाव लिए गए।

मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि दिव्यांगजन के माता-पिता/अभिभावक अब नवीनीकरण के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नामांकन स्वयं कर सकते हैं, जो इस क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग थी।

मेरा पूरा ध्यान राष्ट्रीय न्यास की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने पर था और मुझे संतुष्टि है कि मेरे स्वयं सेवी संगठनों, माता-पिता और अन्य नागरिक समाज के सदस्यों के सहयोग से हम यह पूर्ण कर पा रहें हैं।

कार्यालय द्वारा स्नैक और पंजीकृत संगठनों के साथ नियमित आभासी बैठकें आयोजित की गईं, ताकि उन बाधाओं को हल किया जा सके और उन मुद्दों का समाधान किया जा सके जिनके परिणामस्वरूप कार्यालय और हितधारकों के बीच कोई बाधा उत्पन्न हुई हो।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, अब राष्ट्रीय न्यास की योजनाएँ, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में लागू होंगी। राष्ट्रीय न्यास, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है जिससे कि राष्ट्रीय न्यास के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संस्थाएं प्रोत्साहित हो और हमसे पंजीकृत हो कर राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं का कार्यान्वय हो सके। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 13 के अनुसार सभी जिलों में एलएलसी का गठन / पुनर्गठन 3 साल की अवधि के लिए किया जाता है और सभी एलएलसी का कार्यकाल एक ही तारीख को समाप्त होता है। इसी के तहत दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में एलएलसी का गठन मई 2021 से जून 2022 तक जिलाधिकारी /मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कर दिया गया है।

मैं तत्कालीन सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास, श्रीमति शकुंतला डी गामलिन एवं श्री सुंदराय, सयुंक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कि उन्होंने COVID-19 द्वारा हुए प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए इतने सुविधाजनक नीतिगत निर्णय लिए।

मैं विभाग से बोर्ड के एक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देना जारी रखूंगा।

(किशोर बाबुराव सुरवाडे)
संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विषय सूची

No.	Particulars	Page No.
1.	राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के सदस्यों की सूची	19
2.	राष्ट्रीय न्यास के स्थायी और संविदा कर्मचारियों की सूची	21
3.	परिचय	22
4.	स्थानीय स्तरीय समिति (एल.एल.सी/LLC)	22
5.	कानूनी संरक्षक की नियुक्ति	23
6.	संस्थाओं का पंजीकरण (ROs)	24
7.	राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र (SNAC)	24
8.	राज्य स्तरीय समन्वय समिति(SLCC)	25
9.	योजनाओं की मुख्य विशेषताएं और विभिन्न परियोजना धारकों को जारी की गई निधि :	25
	9.1. दिशा : बाल्य–कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना	25
	9.2. विकास (10 वर्ष से ऊपर के दिव्यांग के लिए दिन मे देखभाल)	25
	9.3. दिशा सह–विकास योजना (डे–केयर)	26
	9.4. समर्थ (राहतकारी देखभाल)	26
	9.5. घरौंदा (वयस्कों के लिए सामुहिक गृह)	26
	9.6. समर्थ–सह–घरौंदा योजना (आवासीय)	27
	9.7. बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक संपर्क और अभिनव परियोजना योजना)	27
	9.8. 'निरामय' स्वास्थ्य बीमा योजना	27
	9.9. सहयोगी (देखभाल सहयोगी प्रशिक्षण योजना)	28
10.	1 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय न्यास की 10 संशोधित योजनाओं का कार्यान्वयन	29
11.	प्रारंभिक फंडिंग पैटर्न की बहाली	31
12.	ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 'संपर्क इन द आवर ऑफ नीड' योजना का कार्यान्वयन	32
13.	कोविड–19 के दौरान किए गए कार्य एवं विभिन्न नीतिगत निर्णय	32
14.	वार्षिक आम बैठक 2020	33

15.	राष्ट्रीय न्यास के अन्य कार्यकलाप और विभिन्न सम्मेलन और कार्यशालाएं	34
	15.1. वर्चुअल बैठकें	34
	15.2. शिकायत का निवारण	35
	15.3. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में संशोधन	35
	15.4. शिक्षण लर्निंग सामग्री किट की खरीद और वितरण	35
	15.5. 30 दिसम्बर 2020 को राष्ट्रीय न्यास का स्थापना दिवस	36
16.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	36
17.	अस्वीकरण	
वार्षिक लेखा 2020-21		39s

1. राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के सदस्यों की सूची

क्र. सं.	नाम	पता	सम्पर्क
1	सुश्री शकुंतला डी गामलिन **(31 मार्च, 2021 तक)** अब, सुश्री अंजलि भावडा	सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के अध्यक्ष, MSJE,भारत सरकार, 16 बी, बड़ा बाजार रोड, ओल्ड राजिंदर नगर, नई दिल्ली	secretaryda-msje@nic.in 011-24369055
2	श्री निकुंजा के सुंदराय (11/10/2020 तक)	सयुंक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास, MSJE, भारत सरकार, 16 बी, बड़ा बाजार रोड, ओल्ड राजिंदर नगर, नई दिल्ली	Js_ceo_nt@thenationaltrust.in 011-43187801
3	श्री संजय पाण्डेय	एफए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा नंबर – 609–ए, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001	s_pandey@gov.in 011-23387924/23073598
4	श्री किशोर बी. सुरवड़े, ISS (12/10/2020 से)	उप महानिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सयुंक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,राष्ट्रीय न्यास (अतिरिक्त प्रभार), कमरा नंबर 514, (बी–द्वितीय), एमध्ओ एसजे एंड ई, अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली	ddg-depwd@gov.in 011-24364394
5	श्री संतोष कुमार यादव	संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली	Yadavsk.up@nic.in 011-23387781
6	डॉ. एन. श्रीनिवास राव	आर्थिक सलाहकार (एनएसएपी और आईटी) ग्रामीण विकास मंत्रालय , कृषि भवन, नई दिल्ली	Srinivas.rn@nic.in 011-23386411
7	श्री शिवदास मीना	संयुक्त सचिव (यूडी), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110108	mshivdas@ias.nic.in 011-23062477
8	सुश्री विभा भल्ला	सयुंक्त सचिव,सामाजिक सुरक्षा प्रभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कमरा नंबर 106, श्रम शक्ति भवन रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001	v.bhalla@nicin 011-23710239
9	सुश्री आस्था सक्सेना खतवानी	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	aastha.khatwani@nic.in 011-23388576

10	श्री लव अग्रवाल	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	alav@ias.nic.in 011-23061195
11	सुश्री उमा एस सेठ	अतिरिक्त निदेशक (फिक्की सीएसआर के लिए टीम लीड), फिक्की, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली – 110 001	uma.seth@ficci.com 011-23357243 9899324304
12	श्री जिग्नेश जोशी	प्रतिनिधि एसोचौम, जे जोशी कॉर्पोरेट हाउस, मीरा सिनेमा के सामने, भैरवनाथ रोड, मणिनगर, अहमदाबाद – 380028	jignesh.joshi@jmpcbuiltline.com 079-26422432 09898989444
13	श्री गोपाल सिंगाराजू	सदस्य, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नेशनल कमेटी ऑन स्पेसशल एब्लिटीस और मुख्य परिचालन अधिकारी– रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, 2–बी, ब्लॉक–बी, रेंट्री अपार्टमेंट, संख्या 21 वीनस कॉलोनी, लिंड स्ट्रीट क्रॉस, अलवरपेट – 600018, चेन्नई	gopal.singaraju@rbs.com 9840790120
14	श्री अभय कुमार दुबे	131, इंद्रपुरी कॉलोनी ग्वारीघाट रोड, जबलपुर – 482008, मध्य प्रदेश	abhaydubeyjbp@gmail.com 9425150672
15	सुश्री रूबी सिंह	पी 3/सी –506, वसंत विहार AWHO कॉलोनी, विद्या नगर, बिलमरनाहल्ल मेन रोड, बैंगलोर–562157, कर्नाटक	alfaa2010@gmail.com; rubysingh.pms@gmail.com 9741418103
16	डॉ. सपम जसोवंत सिंह	57, सगोलबंद तेरा पुखरी मैपल लम्फाल पश्चिम, इंफाल – 795001, पश्चिम मणिपुर	hdfoundationmanipur@gmail.com; sapamjasowanta2399@gmail.com 9612157246
17	श्रीमती पूजा सुरेशभाई वाघसिया	राजन, शिवसृष्टि – 2, पेडक रोड, भिंड भारतीय स्कूल, राजकोट . 360003	patelridhi007@gmail.com 8128138092
18	श्री गुरइकबाल सिंह बेदी	5, हरगोबिंद नगर सरहिंग रोड, पटियाला – 147004, पंजाब	membernationaltrust@gmail.com 7009717324
19	डॉ आशीष कुमार	पुत्र जनदेव सिंह, ब्लॉक बी स्वास्तिक एन्क्लेव, लैट नंबर 2ए, बक्सी बाजार, कटक सदन, ओडिसा – 753001	ashish_ashtha@rediffmail.com 9338128085
20	श्री पुष्प पाल सिंह	सी–47 राजेंद्र नगर बरेली, इज्जत नगर, यूपी	designviews540554@gmail.com 9568181368 / 9412288074

2. राष्ट्रीय न्यास के स्थायी और संविदा कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद	ई–मेल/फोन नं.
1.	श्री यूके शुक्ल	कार्यक्रम निदेशक	ala@thenationaltrust.in 011-43187804
2.	श्री नवनीत कुमार	उप निदेशक	po@thenationaltrust.in 011-43187805
3.	श्री अमित कुमार आशुतोष	लेखा अधिकारी	ao@thenationaltrust.in 011-43187806
4.	श्री एस के ठुकराल	पी.एस.	Pstojs-ceo@thenationaltrust.in 011-43187801
5.	श्रीमती सुषमा घई	पी.एस.	contactus@thenationaltrust.in 011-43187822
6.	श्रीमती श्रेष्ठा साहनी	पी.ए.	shreshtha@thenationaltrust.in 011-43187824
7.	श्री अमिताभ त्रिवेदी	लेखाकार (सेवा निर्वित– 30.04.2020)	
8.	श्रीमती मोनिका वाधवा	सहायक	monika@thenationaltrust.in 011-43187815
9.	श्रीमती वंदना चोपड़ा	कार्यक्रम सहायक	vandana@thenationaltrust.in 011-43187813
10.	सुश्री मुस्कान खुल्लर	कार्यक्रम सहायक	muskan@thenationaltrust.in 011-43187809
11.	श्री बी एस नेगी	यू डीसी	bharat@thenationaltrust.in 011-43187
12.	श्री रामबिलास राजभर	एम.टी.एस.	
13.	श्रीमती रेखा ममगैन	एम.टी.एस.	
14.	श्री राम आशीष गौड़	एम.टी.एस.	

संविदा पर

क्र.सं.	नाम	पद	
1.	श्री जसविंदर पाल सिंह खेरा	लेखा सहायक	jasvinder@thenationaltrust.in 011-43187807
2.	श्री पंकज श्रीवास्तव	Technical Executive (30 September 2020)	
3.	श्री तिलक राज	कार्यालय सहायक	tilak@thenationaltrust.in 011-43187821
4.	श्रीमती पुष्पा पांडे	कार्यालय सहायक	pushpa@thenationaltrust.in 011-43187819
5.	श्रीमती अनीता रानी	कार्यालय सहायक	anita@thenationaltrust.in 011-43187818
6.	श्री गुड्डू	सफाई कर्मचारी	

3. परिचय

राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांग दिव्यांगजन के कल्याण के लिए संसद के एक अधिनियम, 1999 द्वारा बनाया गया एक सांविधिक निकाय है। अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय न्यास के निम्नलिखित उदेश्य हैं:–

1. दिव्यांगजन को समर्थ और सशक्त बनाना, जिससे कि वे पूर्ण रूप से समाज से जुड़कर यथा संभव स्वतंत्र जीवन यापन कर सकें, जिसके वे अभिन्न अंग हैं;
2. दिव्यांगजन को अपने परिवार के बीच रहने के लिए व उनकी मूलभूत सुविधाओं को अधिक मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करना
3. पंजी.त संगठनो को सहायता प्रदान करना जिससे वे दिव्यांगजन के परिवार को पारिवारिक संकट अवधि के दौरान आवश्यक आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करा सकें;
4. दिव्यांगजन की समस्याओं का निपटारा करना जिन्हें पारिवारिक सहायता नहीं मिलता;
5. दिव्यांगजन के संरक्षको या माता पिता की मृत्यु होने की स्थिति में उनकी देख–रेख और सुरक्षा के लिए उपाय प्रस्तुत करना;
6. दिव्यांगजन जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, उनके लिए कानूनी संरक्षकों और न्यासियों की नियुक्ति के लिए क्रिया विधि तैयार करना;
7. दिव्यांगजन की पूर्ण भागीदारी, समान अवसर और सुरक्षा अधिकार प्राप्त किए जाने को सुगम बनाना; और
8. अन्य कार्य, जो उपर्युक्त उद्देश्यों के आनुशंगिक हों।

राष्ट्रीय न्यास मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए काम करता हैं – कानूनी सहायता व कल्याणकारी योजनाओ का संचालन। स्थानीय स्तरीय समितियों के माध्यम से कानूनी सरंक्षकता प्रदान की जाती हैं, जबकि योजनाओ के माध्यम से कल्याणकारी गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। राष्ट्रीय न्यास के अन्य क्रियाकलापों के अतिरिक्त प्रशिक्षण, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम, आश्रय व देखभाल एवं सशक्तिकरण करना शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजन के समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं उनको पूर्ण भागीदारी प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

4. स्थानीय स्तरीय समिति (एल.एल.सी/LLC)

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13 के तहत प्रत्येक जिले में एक स्थानीय स्तरीय समिति तीन साल की अवधि के लिए या जब तक यह राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड द्वारा पुनर्गठित की जाए, निम्नलिखित सदस्यों से गठित की जाती है: –

- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला के जिला आयुक्त से नीचे के पद का नहीं होगा;
- किसी पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; और
- एक दिव्यांगजन सदस्य जो विकलांगता अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के खण्ड 2 की धारा (क) में परिभाषित हो।

स्थानीय स्तरीय समिति का मुख्य कार्य कानूनी संरक्षक के आवेदन को जाँचना, नियुक्ति करना, निगरानी करना और हटाना है। स्थानीय स्तरीय समिति जागरूकता फैलाना, दिव्यांगजन का समावेश करना और उन्हे मुख्य धारा से जोड़ना जैसे गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है।

स्थानीय स्तरीय समितियों को और जवाबदेह बनाने के लिए, इन समितियों के कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है। सभी जिलों के जिलाधिकारी/जिला दंडाधिकारी को ऑनलाइन कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु लॉग इन आई.डी. और पासवर्ड भेज दिये गए हैं। स्थानीय स्तरीय समिति की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत संगठनों एवं दिव्यांगजन को उपयुक्त फॉर्म, एवं जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, राष्ट्रीय न्यास को ऑनलाइन जमा करवाना है। राष्ट्रीय न्यास के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद स्थानीय समिति के गठन और पुनर्गठन आदेश को डाउनलोड किया जा सकता है।

***देश के 694 जिलों में स्थानीय स्तरिए समितियों का गठन किया जा चुका है। इसमे जम्मू –कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यों को नहीं शामिल किया गया है क्योंकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के जिलों में स्थानीय स्तर की समितियों का गठन 2021–22 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में शामिल करने के बाद किया गया था।**

देश के कई जिलों में, राष्ट्रीय न्यास के पास पंजीकृत संस्था उपलब्ध नहीं है तथा उन मामलों में, जिनमें जिला कलेक्टंर अथवा मजिस्ट्रेट से पंजीकृत संगठन अथवा दिव्यांगजन को सिफारिश पत्र उपलब्ध नहीं होता है, इस समस्या के समाधान के लिए, राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र को दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 की बैठक के तहत स्थानीय स्तर समिति के दूसरे और तीसरे सदस्या के लिए ऐसा सिफारिश पत्र जारी करने के लिए प्राधि.त किया गया है।

पंजीकृत संस्था के सदस्य और दिव्यांगजन सदस्य द्वारा स्थानीय स्तर समिति में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय स्थानीय स्तर समिति के बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनिवार्य शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन पंजीकृत संगठन और दिव्यांगजन, जो स्थानीय स्तर समिति के सदस्य बनेगे, वे जिला कलेक्टंर अथवा मजिस्ट्रेट कार्यालय में स्थानीय स्तर समिति के बैंक खाते को खोलने की कार्रवाई शीघ्र करेंगे। इसके अभाव में, वित्त पोषण ढांचे के अनुसार कार्यकलापों के लिए स्थानीय स्तर समिति को संवितरित कोई भी राशि जारी नहीं की जाएगी।

5. कानूनी संरक्षक की नियुक्ति

(क) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14–17, स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांग दिव्यांगजन के लिए कानूनी संरक्षण को दर्शाती है। कानूनी संरक्षकता का प्रावधान आवश्यकता के आधार पर है।

(ख) एक संरक्षक वह व्यक्ति है जो किसी दिव्यांगजन व उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह व्यक्ति उस दिव्यांगजन की ओर से सभी कानूनी फैसले लेने में सक्षम है जिसके लिए उसको कानूनी अभिभावक बनाया गया है।

(ग) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता एवं बहुविकलांग दिव्यांगजन एक ऐसी विशेष स्थिति में होते हैं जिसमे वे 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर भी अपने दैनिक जीवन को सुचारु रूप से चलाने में तथा स्वयं के सुधार के लिए कानूनी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते। अतः उन्हें जीवनभर एक कानूनी अभिभावक की आवश्यकता होती है जो उनकी रुचि के आधार पर उनके फैसले का प्रतिनिधित्व कर सके। हालांकि, सेरेब्रल पाल्सी और बहुविकलांग दिव्यांगजन के मामलों में उन्हें कानूनी अभिभावक की आवश्यकता सीमित हो सकती

है क्योंकि वर्तमान उपलब्ध तकनीकी और/या वैज्ञानिक सुविधा उन्हें स्वयं के फैसले हेतु सक्षम बनाती है तथा कानूनी अभिभावक की आवश्यकता को कम कर सकती है तथा दिव्यांगजनों को जीवन के अनेक उतार–चढ़ाव में स्वतन्त्रता के साथ काम करने में सक्षम बनाती है।

(घ) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 के तहत, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर की समिति को स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से प्रभावित दिव्यांगजन हेतु अभिभावकों की नियुक्ति करने के लिए नियम 16 (1) के तहत फॉर्म ए में आवेदन प्राप्त करने और नियम 16 (2) के तहत फॉर्म बी के तहत प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह उनकी संपत्तियों सहित उनकी रुचियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए भी एक ढांचा प्रदान करता है। सभी फार्म कानूनी संरक्षकता मॉड्यूल पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

(ग) वर्ष 2020–2021 में 4377' कानूनी संरक्षकता आवेदनों को स्वी.त और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरणः – उपरोक्त आंकड़ा योजना प्रबंधन प्रणाली की तिथि 31 मार्च 2021 के अनुसार है। किसी मामले की समीक्षा के समय स्थानीय स्तरिए समिति अपने निर्णय को बदल सकती है।

6. संस्थाओं का पंजीकरण

(क) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन या अभिभावक संघ या दिव्यांग व्यक्तियों के संस्थान, जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांग दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु कार्य कर रहे हों, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 की 21 धारा), या धारा 25 के तहत पंजीकृत कंम्पनियां या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित के तहत पंजीकृत हों:–

अ. संबंधित राज्य में निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016

ब. नीति आयोग का संस्थानों के लिए दर्पण पोर्टल

(ख) राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठन का पंजीकरण राष्ट्रीय न्यास के पास कराना आवश्यक होगा । राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर आवेदन करने से लेकर प्रोसेस और अनुमोदन या अस्वीकार करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। पंजीकरण शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाता है । संस्थानों को ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी दस्तावेजों को अपलोड करना पड़ता है। पंजीकरण की पूर्ण प्रक्रिया न केवल ऑनलाइन है अपितु यह पारदर्शी भी है। संगठनों का पंजीकरण पूरे वर्ष किया जाता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, 92 संगठनों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया और पंजीकृत संगठनों की कुल संख्या 668 है । पंजीकृत संगठनों की राज्यवार एवं जिलावार सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

7. राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र (SNAC)

।राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं राज्य सरकारों के साथ समन्वय/संपर्क स्थापित करने के लिए हर राज्य में एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन को राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (SNAC) नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास संस्थागत गतिविधियों जैसे पंजीकृत संगठनों/स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी), राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) की बैठकें, प्रलेखन/रिपोर्टिंग, समन्वयक के लिए मानदेय एवं अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए धन प्रदान करता है। वर्तमान में देश में 27 राज्य नोडल एजेंसी

केंद्र हैं। **सभी राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों की सूची वेबसाइट लिंक–https://www.thenationaltrust.gov.in/content/registered_organization.php. पर उपलब्ध है।**

वर्ष 2020–2021 के दौरान, 44.16 लाख रुपए की राशि राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों को जारी की गई।

8. राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC)

राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को हर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए हर राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रशासन को राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) गठित करने के लिए अनुरोध किया गया है। हर राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, जो दिव्यांगजन से संबन्धित कार्य को देखते हैं को इसका अध्यक्ष बनाया गया है एवं संबंधित प्रदेश के राज्य नोडल एजेंसी सेंटर (SNAC) को समिति का संयोजक बनाया गया है। अब तक, 29 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :–

सचिव, समाज कल्याण	————	अध्यक्ष
आयुक्त (निशक्तता)	————	उपाध्यक्ष
निदेशक, समाज कल्याण	————	सदस्य
राज्य नोडल एजेंसी केंद्र	————	सदस्य सचिव
1एनजीओ सदस्य स्थानीय स्तरीय समिति (प्रत्येक 10 जिलों से)	————	सदस्य

अब तक 29 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है।

9. योजनाओं की मुख्य विशेषताएं और विभिन्न परियोजना धारकों को जारी की गई निधि :

9.1. दिशा : बाल्य–कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना

यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में समाहित चार प्रकार की विकलांगताओं से युक्त 0 से 10 वर्ष तक की आयु समूह वाले बच्चों के लिए बाल्य – कालिक और स्कूल तैयारी की योजना है। इस योजना का लक्ष्य दिशा केंद्र स्थापित करना है और दिव्यांगजन के बाल्य काल में ही चिकित्सा, प्रशिक्षण और उनके परिवार के सदस्यों के जरिये शीघ्र हस्तक्षेप करना है। इसके अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा दिन में कम से कम 4 घंटे (प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच) दिव्यांगजन की देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसमें आयु–विशिष्ट गतिविधियाँ शामिल हैं। दिशा केंद्र में दिव्यांगजन के लिए विशेष शिक्षकों अथवा बाल्यकालिक हस्तक्षेप थेरापिस्ट, फिजिओथेरेपिस्ट अथवा ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट और काउन्सलर तथा देखभालकर्ता और आया की व्यवस्था होती है। ताकि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित बच्चों और माता पिता दोनों को प्रशिक्षण (विशेषकर स्कूल हेतू तैयारी) तथा परामर्श दिया जा सके। केंद्र में देखभालकर्ता एवं आया के साथ–साथ दिव्यांगजन के लिए एक विशेष शिक्षक या प्रारंभिक हस्तक्षेप चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट या व्यावसायिक चिकित्सक और परामर्शदाता होता है। संशोधित प्रारंभिक हस्तक्षेप योजना में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के स्थान पर 0 से 10 वर्ष आयु वर्ग को कवर करने के प्रावधान होंगे, जैसा कि पहले की योजना में विचार किया गया था।

देश में पिछले 6 वर्षों के दौरान 3588 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 115 दिशा केंद्र स्वीकृत किए गए हैं । 2020–21 में, 30 दिशा केंद्रों के माध्यम से 491 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया । योजना के तहत अब तक 1199.61 लाख रु जारी किए गए हैं। इसमें 2020–21 के दौरान जारी किए गए 208ण्82 लाख रुपये शामिल हैं।

9.2. विकास (10 वर्ष से ऊपर के दिव्यांग के लिए दिन मे देखभाल)

यह दिन में देख–भाल की योजना है जिसका उद्देश्य, उन दिव्यांगजन जिनकी आयु 10 वर्ष से अधिक हैं जो बढ़ती हुई उम्र में हैं, के लिए अवसरों का विस्तार करना है ताकि उसके अंतर–वैयक्तिक एवं रोजगारपरक कौशल में वृद्धि हो सके। जितने समय दिव्यांग विकास केन्द्र में रहता है, उतने समय केन्द्र उस व्यक्ति की देख–भाल की सुविधा प्रदान कर्ता है। साथ ही, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित दिव्यांग व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की सहायता करने में भी उनको मदद करता है, ताकि दिन में उन्हें अपने अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ समय मिल सके। पंजीकृत संस्था द्वारा दिव्यांगजन को दिन में कम से कम 6 घंटे (पूर्वाह्न 8 से अपराह्न 6 बजे के बीच) देख–भाल की सुविधा प्रदान करनी होती है, जिसमें आयु–विशिष्ट गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं विकास केंद्र महीने में कम से कम 21 दिन खुलता है।

देश में पिछले 6 वर्षों के दौरान 5665 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 124 विकास केंद्र स्वी.त किए गए हैं। 2020–21 में, 33 विकास केंद्रों के माध्यम से 790 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। योजना के तहत 1987.41 लाख रु. अब तक जारी किए गए हैं। इसमें 2020– 21 के दौरान जारी की गई 347.61 लाख रुपये की राशि शामिल है।

9.3. दिशा सह–विकास योजना (डे–केयर)

पंजीकृत संगठन, जो कई योजनाओं को संचालित कर रहे थे, उनको विलय योजना को संचालित करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। पंजीकृत संगठनों द्वारा दी गई सहमति और योजना के दिशा–निर्देशों के आधार पर, इन पंजीकृत संगठनों को 1–4–2018 से विलय दिशा–कम–विकास योजना (डे केयर) आवंटित की गयी।

देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान 41 दिशा सह–विकास केन्द्रो ने 3303 लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इनमें वर्ष 2020–21 के दौरान लाभान्वित किए गए 1325 लाभार्थी शामिल हैं इस योजना के अर्तगत, अभी तक 1430.56 लाख रू. की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें वर्ष 2020–21 के दौरान जारी की गई 714. 08 लाख रू. की राशि शामिल है।

9.4. समर्थ (राहतकारी देखभाल)

समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथों अथवा संकटग्रस्त परिवारों और बी.पी.एल तथा एल.आई.जी परिवारों से आने वाले दिव्यांगजन को और ऐसे निराश्रितों को राहतकारी देखभाल उपलब्ध कराना है जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत शामिल चार विकलांगताओं में से कम से कम एक विकलांगता के अंतर्गत आते हों। इसका उद्देश्य दिव्यांगजन के परिवार के सदस्यों के लिए ऐसे अवसर पैदा करना है कि वे अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राहतकारी समय पा सकें। इस योजना का उद्देश्य ऐसा समर्थ केन्द्र की स्थापना करना है जहाँ सभी आयु समूह के लिए सामूहिक गृह सेवामिल सके, और जिसमें देखभाल की पर्याप्त एवं उत्तम सेवाओं से युक्त स्वीकार्य जीवन–स्तर की सुविधाओं के साथ–साथ पेशेवर चिकित्सक द्वारा बुनियादी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो।

देश में पिछले 6 वर्षों के दौरान 1621 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 45 समर्थ केंद्र स्वी.त किए गए हैं। 2020–21 में, 10 समर्थ केंद्रों के माध्यम से 160 लाभार्थी लाभान्वित हुए। योजना के तहत अब तक 920.42 लाख रु. जारी किए जा चुके हैं। इसमें 2020–21 के दौरान, जारी किए गए 134ण्63 लाख रुपये शामिल हैं ।

9.5 घरौंदा (वयस्कों के लिए सामुहिक गृह)

घरौंदा योजना का उद्देश्य स्वपरायणता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता एवं बहु–विकलांगता से प्रभावित दिव्यांगजन को जीवन भर के लिए न्यूनतम आधारभूत गुणवत्ता एवं देखभाल सेवाओं के साथ आवासीय सुविधा प्रदान करना है। घरौंदा केंद्र में रोजगारपरक गतिविधियों, रोज़गार–पूर्व तथा आगे के प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए सहायता का प्रावधान भी रखा गया है। यह योजना पूरे देश में निश्चित तौर पर देखभाल प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे

की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है जो दिव्यांगजन को स्थायी तौर पर स्वतन्त्रता और गरिमा के साथ रहने को प्रोत्साहित करती है।

देश में पिछले 6 वर्षों के दौरान, 1275 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 50 घरौंदा केंद्र स्वी.त किए गए हैं। 2020–21 में, 20 घरौंदा केंद्रों के माध्यम से 275 लाभार्थी लाभान्वित हुए। इस योजना के तहत अब तक 1445.23 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें 2020–21 के दौरान, जारी की गई 322.53 लाख रुपये की राशि शामिल है।

9.6. समर्थ–सह–घरौंदा योजना (आवासीय)

पंजीकृत संगठन, जो कई योजनाओं को संचालित कर रहे थे, उनको विलय योजना को संचालित करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। पंजीकृत संगठनों द्वारा दी गई सहमति और योजना के दिशा–निर्देशों के आधार पर, इन पंजीकृत संगठनों को 1–4–2018 से विलय समर्थ–कम–घरौंदा योजना (आवासीय) आवंटित की गयी।

देश मे पिछले 3 वर्षों के दौरान 12 समर्थ–सह–घरौंदा केंन्द्रों ने 643 लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। 2020–21 के दौरान, इन 12 समर्थ–सह–घरौंदा केंन्द्रों से 283 लाथार्थी लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत अब तक 443.69 लाख रु. जारी किए जा चुके हैं। इसमें 2020–21 के दौरान जारी की गई 242. 24 लाख रूपये की राशि शामिल है।

9.7. बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक संपर्क और अभिनव परियोजना योजना)

यह योजना राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों को राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत कवर की गई दिव्यांगताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कार्यकलापों को संचालित करने हेतु सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता, संवेदीकरण, सामाजिक एकीकरण और निशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) को मुख्यधारा में लाना है। राष्ट्रीय न्यास प्रति वर्ष प्रत्येक पंजीकृत संगठन के लिए अधिकतम 4 कार्यक्रम प्रायोजित कर सकता है। प्रत्येक पंजीकृत संगठन को एक वर्ष में समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों या चिकित्सा संस्थानों के लिए कम से कम एक कार्यक्रम आयोजित करना होगा। पंजीकृत संगठनों से 'संपर्क इन द आवर ऑफ नीड' योजना के तहत प्रस्ताव को भी बढ़ते कदम योजना के तहत माना जाता है।

इस योजना के तहत, देश में पिछले 6 वर्षों के दौरान, 126 पंजीकृत संगठनों (आरओ) को मंजूरी दी गई है। अब तक 1.28 लाख रु. जारी किए जा चुके हैं।

9.8 'निरामय' स्वास्थ्य बीमा योजना

इस योजना का उद्देश्य स्वपरायणता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से प्रभावित दिव्यांगजन के लिए किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। नामांकित लाभार्थियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मामूली शुल्क चुकाकर 1 लाख रुपये तक की राशि का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है:

शुल्क सारिणी : निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1 अप्रैल 2016 से लागू, नामांकन और नवीकरण के लिए पूर्ण शुल्क चार्ट निम्नानुसार है: –

नामांकन सारणी –

दिव्यांगजन की श्रेणी	नामांकन शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
बी.पी.एल	250 रुपये	50 रुपये
नॉन – बी.पी.एल	500 रुपये	250 रुपये
दिव्यांगजन जिसका कानूनी सरंक्षक हो (माता–पिता के अतिरिक्त)	मुफ्त	मुफ्त

जिन शीर्षकों (लाभ चार्ट) के तहत लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं, इस प्रकार है:

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना– संशोधित लाभ तालिका

केवल प्रतिपूर्ति आधार पर (अप्रैल 2015 से) रुपये

खंड	उप–खंड	विवरण	उप–सीमा	खंड की समग्र सीमा
I	**अस्पताल में भर्ती होने संबंधी समग्र सीमा**		**70,000/-**	
	क	वर्तमान और जन्मजात विकलांगता सुधार हेतु शल्य–क्रिया	40,000/-	
	ख	गैर–शल्य क्रिया/अस्पताल में भर्ती होना	15,000/-	
	ग	विकलांगता को और बढ़ने से रोकने के लिए शल्य–क्रिया	15,000/-	
II	**बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) के लिए समग्र सीमा**			**14,500/-**
	क	ओपीडी इलाज, जिसमे दवाएं, रोगों की जांच, निदान संबंधी परीक्षण आदि	8,000/-	
	ख	स्वस्थ दिव्यांगजन की नियमित चिकित्सा जांच	4,000/-	
	ग	चिकित्सीय निवारक दंत चिकित्सा	2,500/-	
III	विकलांगता और उससे संबंधी जटिलताओं के कुप्रभाव को कम करने के लिए अनवरत चिकित्सा			**10,000/-**
IV	वैकल्पिक चिकित्सा			**4,500/-**
V	परिवहन व्यय			**1,000/-**
	प्रति व्यक्ति कवरेज की समग्र सीमाः रुपये 1,00,000/-			

वर्ष 2020 –2021 के दौरान, 174979 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है। कुल 13096 दावों का निपटारा किया गया। वर्ष के दौरान 8.81 करोड़ रु.व्यय किए गए। वर्तमान में यह योजना द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है ।

दिव्यांगजनों के माता–पिता एवं संरक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के आधार पर योजना प्रबंधन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिसमें निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नवीनीकरण सीधे उनके द्वारा किया जा सकता है और उन्हें इसके लिए पंजीकृत संगठन से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अगर वे अभी भी पंजीकृत संगठन के माध्यम से पंजीकरण करवाना चाहते हैं, तो भी ऐसा किया जा सकता है।

इस योजना के संबंध में राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों के नामांकन के लिए पंजीकृत संगठन के पंजीकरण शुल्क को माफ किया गया है ताकि दिव्यांगजनों के हित के लिए अधिक से अधिक संख्या में संगठन इस योजना का लाभ उठा सकें।

9.9 सहयोगी (देखभाल सहयोगी प्रशिक्षण योजना)

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन और उनके जरुरतमंद परिवारों को पर्याप्त और पोषण युक्त देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए कुशल कार्यबल का निर्माण तथा केयर एसोसिएटस को प्रशिक्षित करने के लिए केयर एसोसिएट प्रकोष्ठों की स्थापना करना है। इसके अलावा, अगर दिव्यांगजन के माता–पिता भी केयर एसोसिएट बनने में रुचि रखते है तो, उन्हें प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है। यह योजना प्राथमिक और उन्नत दोनों स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजन के परिवारों और अन्य संस्थानों के दिव्यांगजन की आवश्यकताओं की पूर्ति (एनजीओ, कार्यशाला आदि) के लिए केयर एसोसिएटस के प्रशिक्षण का विकल्प प्रदान करती है।

सहयोगी योजना के तहत 56 केयर गिवर्स ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसमें देश में पिछले 6 वर्षों के दौरान 1762 केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया गया है। योजना के तहत अब तक 179.81 लाख रु. जारी किए जा चुके हैं।

वर्तमान में यह योजना केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खुली है।

10 1 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय न्यास की 10 संशोधित योजनाओं का कार्यान्वयन

जैसा कि 20 मार्च 2018 को आयोजित राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड की 77वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था, राष्ट्रीय न्यास ने 1 अप्रैल 2018 से संशोधित योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:

पंजीकृत संगठन द्वारा कई योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में, दिशा और विकास नामक दो योजनाओं का दिशा–सह–विकास नामक एक योजना के रूप में विलय कर दिया गया है। इसी तरह, समर्थ और घरौंदा को एक ही योजना में विलय कर दिया गया है, जिसका नाम समर्थ–सह–घरौंदा है। किसी भी स्थिति में, पंजीकृत संगठनों को एक समय में एक से अधिक योजनाओं की स्वी.ति नहीं दी जाएगी।

इन योजनाओं की संरचना का विवरण निम्नानुसार होगा:

क्र. सं.	मौजूदा योजना	मौजूदा संरचना		मौजूदा संशोधित संरचना	संशोधित संरचना		
		सेट अप (रुपये)	मासिक आवर्ती राशि (रु.)		सेट अप (रुपये)	मासिक आवर्ती राशि (रु.)	आवश्यक कर्मचारी
1	दिशा (बाल्य कालिक हस्तक्षेप एवं स्कूल तैयारी योजना)	1.55 लाख	4,500/-	**दिशा–कम–विकास योजना**	**1.55 लाख**	**रुपये 3500/- (रुपये 3000/- + वाहन @ रुपये 500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी अधिकतम 30 बीपीएल दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपात की स्थिति वही रहेगी।**	(1) प्रारंभिक हस्तक्षेप चिकित्सक / ओटी/ पीटी: कोई भी दो (2) विशेष शिक्षक / वोकेशनल ट्रेनर: कोई एक (3) परामर्शदाता : सप्ताह में 3 बार(4) देखभालकर्ता : 02(5) आया: : 02
2	विकास (दिन में देखभाल –10 वर्ष से अधिक)	1.95 लाख	4,850/-	**(बैच संख्या – 40)**			

3	समर्थ (आवासीय देखभाल योजना)	2.90 लाख	7,000/-	**समर्थ– कम– घरौंदा (आवासीय देखभाल) योजना (बैच साइज**	**1.90 लाख**	**20 पात्र बीपीएल लाभार्थियों के लिए अधिकतम रू 5,000/-**	(1) ओटी : 01 (2) पीटी : 01 (3) विशेष शिक्षक / वोकेशनल ट्रेनर : कोई एक
4	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह)	2.90 लाख	10,000/-		**30)**		(4) देखभालकर्ता : 03 (5) आया : 02 (6) रसोइया : 01
5	निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)			पूर्व रूप में			
6	सहयोगी (केयर एसोसिएट प्रशिक्षण योजना)	1.00 लाख	1) प्रशिक्षु लागत : - प्राइमरी: Rs.4200 - एडवांस: Rs.8000 2) प्रशिक्षु लागत - प्राइमरी: Rs.5000 - एडवांस: Rs.10000		50,000/-	1) प्रशिक्षु लागत (प्राइमरी- 2000 & एडवांस –Rs. 3000) 2) प्रशिक्षु लागत (प्राइमरी-3000 & एडवांस-5000)	
7	ज्ञान प्रभा (शैक्षणिक सहायता)			यह योजना बंद की जा चुकी है क्योंकि समान योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामा. न्याय व अधि. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।			
8	प्रेरणा (विपणन सहायता)			योजना संशोधित की जा रही है			
9	संभव (सहायक सामग्री और सहायता उपकरण)			योजना संशोधित की जा रही है			
10	बदते कदम (जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और अभिनव परियोजना)			प्रत्येक पंजीकृत संस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में केवल एक कार्यक्रम			

राष्ट्रीय न्यास की किसी भी योजना के तहत कोई नई योजना की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि बोर्ड या बोर्ड द्वारा गठित उप–समिति इस पर निर्णय नहीं ले लेती है। हालांकि, यह पूर्वोत्तर राज्यों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित उन पंजीकृत संस्थानों जो कि पुरानी घरौंदा योजना को संशोधित घरौंदा योजना के तहत चला रहीं हैं पर लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय न्यास के निर्देश पर बढ़ते कदम योजना के तहत आयोजित समावेशी भारत पहल पर जागरूकता कार्यक्रमों के लिए भी यह लागू नहीं होगा।

पंजीकृत संस्थान को केवल एक प्रकार की योजना अर्थात डे केयर (दिशा सह विकास योजना) या आवासीय देखभाल (समर्थ सह घरौंदा योजना) को लागू करने की अनुमति होगी। यह मौजूदा योजना धारकों के लिए भी लागू होगा।

मौजूदा योजना धारकों के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 से, एकल तौर पर , केंद्र आधारित योजनाओं जैसे की दिशा, विकास, घरौंदा और समर्थ को लागू करने के लिए, फंडिंग पैटर्न इस प्रकार होगाः –

(क) दिशा और विकास योजनाओं के तहत मासिक आवर्ती निधि 3000/– रु. –. 500/– रु. (परिवहन भत्ता) प्रति लाभार्थी प्रति माह, और घरौंदा और समर्थ योजनाओं के तहत 5000/– रु प्रति लाभार्थी प्रति माह, होगी।

(ख) लाभार्थियों की संख्या योजना के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार ही रहेगी यानी दिशा –20, विकास –30, घरौंदा –20 और समर्थ –30 लाभार्थी।

(ग) राष्ट्रीय न्यास द्वारा वित्त पोषित अधिकतम संख्या में बीपीएल लाभार्थी दिशा और विकास योजनाओं के लिए 20 बीपीएल लाभार्थी होंगे वहीं यह संख्या समर्थ और घरौंदा योजनाओं के लिए 15 बीपीएल लाभार्थियों तक सीमित होगी ।

(घ) किसी भी मामले में, पंजीकृत संस्थान को एक समय में एक से अधिक योजनाओं को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

(ड़) यह राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

11. प्रारंभिक फंडिंग पैटर्न की बहाली

1. राष्ट्रीय न्यास बोर्ड ने 1.04.2020 से दिशा, विकास, दिशा सह विकास, समर्थ, घरौंदा और समर्थ सह घरौंदा योजना के तहत निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रारंभिक वित्त पोषण पैटर्न की बहाली को मंजूरी दे दी है: –

क्र. सं.	योजना	राशि – प्रति लाभार्थी	परिवहन प्रभार	प्रति केंद्र कुल लाभार्थी
I	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी) योजना	4500/-	1000/-	20
II	विकास (डे केयर) योजना	3850/-	1000/-	30
III	समर्थ (आवासीय) योजना	7000/-	-	30
IV	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	10000/-	-	20
V	दिशा–सह–विकास (डे केयर) योजना (1000/– रुपये प्रति लाभार्थी के परिवहन प्रभार सहित)	4200/-	1000/-	30
VI	समर्थ–सह–घरौंदा(आवासीय) योजना	8500/-	-	30

2. इसी के आधार पर दिनांक 01.04.2020 से निधि की बकाया राशि का आंकलन किया गया है।

बकाया राशि को ऑफलाइन जारी किया जाएगा और जारी की गयी बकाया राशि की प्रविष्टि अगले मासिक अनुदान जारी होने के समय ऑनलाइन योजना प्रबंधन प्रणाली में की जाएगी।

वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित निर्णय भी लिए गए जो वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के दौरान भी लागू हैं:–

वर्तमान में नयी योजनाएं या कार्यक्रम स्वी.त नहीं किए गए हैं । केवल चालू परियोजनाओं को जारी रखा गया है। यह शर्त पूर्वोत्तर राज्यों और पुरानी घरौंदा योजना को लागू करने वाले पंजीकृत संस्थान के लिए लागू नहीं होती है। बोर्ड द्वारा पहले से अनुमोदित योजना के अनुसार, पुरानी घरौंदा योजना को संशोधित घरौंदा योजना में समायोजित करने की दृष्टि से, संशोधित घरौंदा योजना को संस्वीत किए जाने की आवश्यकता है।

कोई भी पंजीकृत संगठन एक समय में केवल एक योजना या कार्यक्रम लागू कर सकता है। तदनुसार, दिशा, विकास, समर्थ और घरौंदा के अलावा, विलय किए गए अन्य केंद्र भी हैं:– नामतः दिशा सह विकास और समर्थ सह घरौंदा।

12. ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 'संपर्क इन द आवर ऑफ नीड' योजना का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय न्यास ने महा चक्रवात के कारण 1 नवंबर, 2019 से ओडिशा के 5 जिलों नामतः पुरी, खुर्दा, कटक, केन्द्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में 100 दिनों के लिए 'संपर्क इन द आवर ऑफ नीड' योजना शुरू की थी । बाद में, इस योजना को 'बुलबुल और अम्फान' नामक महा चक्रवातों की वजह से ओडिशा के 5 जिलों नामतः– गंजम, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज तथा पश्चिम बंगाल के 13 जिलों नामतः– दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, नादिया, हुगली, पूर्ब बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा में विस्तारित किया गया।

योजना के तहत लाभार्थियों की आवश्यकता का आकलन और निरामय योजना के तहत नामांकन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय न्यास और राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ प्रदान करना भी शामिल गया। योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश, इसके अंतर्गत आने वाले जिलों की सूची, दोनों राज्यों में राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों की सूची जो कि यह योजना संचालित करेंगे एवं योजना के संचालनात्मक दिशा–निर्देशों को बनाकर योजना को लागू करने वाले पंजीकृत संगठनों को परिचालित किया गया था। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों को प्रा.तिक आपदा जैसे – चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि के मामले में प्रत्येक कार्यक्रम के पहले दिन से 100 दिनों की अवधि के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। इस योजना को 1 नवम्बर 2019 से 100 दिन की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इस योजना को 4 बार बढ़ाया गया था और अंतिम विस्तार 14–3–2021 को समाप्त हो गया था। आगे कोई भी आपदा आने पर वहां जरूरत के हिसाब से योजना लागू की जाएगी।

13. कोविड–19 के दौरान किए गए कार्य एवं विभिन्न नीतिगत निर्णय

राष्ट्रीय न्यास ने कोविड–19 महामारी से निपटने में स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांग दिव्यांगजन के कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इस संबंध में, राष्ट्रीय न्यास ने अपने सभी परियोजना धारकों और पंजीकृत संगठनों को यह दिशा–निर्देश और सलाह जारी की कि कैसे कोविड–19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति में लाभार्थियों और उनके माता–पिता तक पहुंचें। लॉकडाउन अवधि के दौरान राष्ट्रीय न्यास द्वारा की गई प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं:–

i. राष्ट्रीय न्यास केंद्र आधारित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जैसे– दिशा (0–10 वर्षों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना), विकास (10 वर्ष के लिए डे केयर योजना), समर्थ (राहत देखभाल योजना) और घरौंदा(वयस्कों के लिए समूह गृह)। मार्च, 2020 के अंतिम सप्ताह से देश में लॉकडाउन को देखते हुए, अधिकांश लाभार्थी अपने घर वापस चले गए थे और योजना केंद्रों में नहीं आते थे । हालांकि, परियोजना धारकों ने माता–पिता /लाभार्थियों को ऑनलाइन परामर्श देकर और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करके लाभार्थियों को अपनी सेवाएं जारी रखीं। इन्हें ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड ने सभी परियोजना धारकों को मार्च 2020 में केंद्र में मौजूद लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर, लॉकडाउन की पूरी अवधि के लिए वित्त पोषित करने का निर्णय लिया था।

ii. राष्ट्रीय न्यास ने अपने सभी पंजीकृत संगठनों और योजना धारकों के लिए दिशा–निर्देश जारी किए थे कि वे दिव्यांगजनों को व्हाट्सएप, मीटिंग ऐप और सभी नवीन माध्यमों के साथ–साथ कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन करने में मदद, समर्थन और सेवाएं प्रदान करें। योजना धारकों से कहा गया था कि वे लाभार्थियों के घर सेवाएं पहुंचाने की तस्वीरें, विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की रिपोर्ट आदि प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध करें।

iii. राष्ट्रीय न्यास ने कोविड–19 पर केंद्रित ई–न्यूजलेटर का अपना तीसरा अंक जारी किया, ताकि लोग महामारी से लड़ने के लिए इसके लक्षणों, इलाज और रोकथाम के बारे में जागरूक हो सकें। ई–न्यूजलेटर में कोविड–19 पर WHO के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों द्वारा की गई पहलों के लेख शामिल थे।

iv. राष्ट्रीय न्यास ने 1 जून 2020 से 24 जून 2020 तक प्रतिदिन एक या दो राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए वेबिनार बैठकें आयोजित की। इस वेबिनार बैठक में कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों, विशेष रूप से कोविड–19 की अवधि के दौरान उनका कार्यान्वयन, पंजीकृत संगठनों का पंजीकरण और नवीनीकरण प्रमाणपत्र जारी करना (यदि कोई हो)जैसे मुद्दों पर चर्चा की गयी। इसके अलावा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों, पंजीकृत संगठनों के साथ शिकायतों का समाधान आदि भी शामिल था। राष्ट्रीय न्यास वेबिनार में उठाए गए मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

v. राष्ट्रीय न्यास ने आस्था वेलफेयर सोसाइटी, पटना के सहयोग से दिनांक 16–5–20 को कोविड–19 के दौरान राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के पंजीकृत संगठनों की भूमिका पर Zoom बैठक का आयोजन किया, जिसमें आयुक्त, दिव्यांगजन, बिहार, श्री आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक और राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों ने भाग लिया।

vi. राष्ट्रीय न्यास को सूचना मिली कि श्री जावेद बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति दिल्ली के मयूर विहार स्थित अपने घर से चला गया था । कई दिनों के अंतराल के बाद वह पंजाब के अमृतसर में मिला। जानकारी मिलने के तुरंत बाद, राष्ट्रीय न्यास ने श्री जावेद के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पंजाब में अपने राज्य नोडल एजेंसी केंद्र अर्थात् नवचेतना सोसाइटी, होशियारपुर से संपर्क किया। राज्य नोडल एजेंसी केंद्र ने तुरंत पुलिस और अमृतसर के जिला प्रशासन से संपर्क किया। पुलिस और जिला प्रशासन के सामूहिक प्रयासों से श्री जावेद को अमृतसर से दिल्ली वापस लाया गया और उसके माता–पिता को सौंप दिया गया।

14. वार्षिक आम बैठक 2020

राष्ट्रीय न्यास की वींसवी वार्षिक आम बैठक सुश्री शकुंतला घ्ग्गामलिन, IASS, पूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय न्यास और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। वार्षिक आम बैठक में कुल 331 हितधारकों ने भाग लिया।

अध्यक्षा महोदया ने यह स्वींकार किया कि देश में पुनर्वास पेशेवरों की कमी है। भारतीय पुनर्वास परिषद की अध्यक्षा होने के नाते उन्होने पुनर्वास पेशेवरों की संख्या को बढाने के संबंध

20वीं वर्चुअल वार्षिक आम बैठक– 15 दिसम्बर 2020

ा में किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों को साझा किया जैसे सार्वभौमिक पाठ्यक्रमों के अनुसार भारतीय पुनर्वास परिषद के पाठ्यक्रमों की पुर्नसंरचना करना ताकि पुनर्वास विशेषज्ञ अपने मेडिकल विशेषज्ञों के साथ समन्वय करते हुए देश में शीघ्र दी जाने वाली पहल संबंधी सेवाओं में सुधार ला सकें। उन्होने राष्ट्रीय न्यास की उसके कार्य, सामग्री और गुणवत्ता के मामले में बड़ी सफलता की कामना की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों ने कोविड–19 के दौरान अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के बारे मे जानकारी प्रस्तुत की।

खुले सत्र के दौरान तत्कालीन संयुक्त सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास और कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास ने विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया।

20 वीं वर्चुअल वार्षिक आम बैठक के अवसर पर उपस्थित सुश्री शकुंतला डी. गामलिन, सचिव सशक्तिकरण विभाग और अध्यक्षा, राष्ट्रीय न्यास, श्री के.बी. सुरबडे, डीडीजी, दिव्यांगजन सशक्तिकण विभाग और संयुक्त सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकरी, राष्ट्रीय न्यास, श्री यू.के. शुक्ला, कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास और श्री नवनीत कुमार, उप निदेशक, राष्ट्रीय न्यास

15. राष्ट्रीय न्यास के अन्य कार्यकलाप और विभिन्न सम्मेलन और कार्यशालाएं

15.1. वर्चुअल बैठकें

मई/जून 2020 के बाद, जनवरी 2021 में पंजीकृत संगठनों और राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की गई जिनमें प्रत्येक राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और उनमें मुद्दों को हल किया गया।

इसके अतिरिक्तज जनवरी 2021 में नए संगठनों को राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों के रूप मे बनाया गया और उनके साथ 9 जनवरी 2021 को परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई। उनसे अपने राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के पंजीकृत संगठनों के साथ उन बैठकों में भाग लेने के लिए अनुरोध किया गया जिनमें राष्ट्रीय न्यास ने भी भाग लिया। ये बैठकें मार्च 2021 में आयोजित की गईं। इन बैठकों को आयोजित करने का उद्देश्य सभी पंजीकृत संगठनों से यह अनुरोध

करना था कि वे निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए दिव्यांगजनों को सहायता देना शुरू करें और दिव्यांगजनों के माता–पिता / संरक्षकों को आनलाइन कानूनी संरक्षकता का फार्म भरने में मदद करें।

15.2 शिकायत का निवारण

भारत सरकार के पीजी पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय पर निवारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य मोडों के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी निवारण किया जाता है।

15.3 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में संशोधन

राष्ट्रीय न्याष्स अधिनियम 1999 में संशोधन से संबंधित प्रमुख कार्य वर्ष 2019–20 में पूरा किया गया था, तथापि इसमें और सुधार करने के बाद अततः इसे अगस्त 2020 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अंतिम रूप से प्रस्तुत किया गया था।

15.4 शिक्षण लर्निंग सामग्री किट की खरीद और वितरण

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा बनाई गयी शिक्षण लर्निंग सामग्री किट को राष्ट्रीय न्यास ने खरीदा। यह किट राष्ट्रीय न्यास की केंद्र आधारित योजना के अंतर्गत आनेवाले प्रत्येक लाभार्थी को उनकी आयु के अनुसार बांटी गयी हैं। यह किट हमारे लाभार्थियों के लिए काफी लाभदायक हैं। कुल मिलाकर 3177 शिक्षण लर्निंग सामग्री किट का वितरण किया गया। इन शिक्षण लर्निंग सामग्री किट से लाभार्थियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने मे मदद मिलेगी। यह बौद्धिक दिव्यांगजनों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुनियादी स्वसहायता कौशलों, बुनियादी सामाजिक व्यास संपर्क कौशलों कार्य करने के लिए पढ़ने और लिखने और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देती है।

परियोजना धारकों द्वारा प्राप्त की गई टीएलएम किट और किट को इस्तेमाल करता हुआ एक लाभार्थी

15.5 30 दिसम्बर 2020 को राष्ट्रीय न्यास का स्थाएपना दिवस

राष्ट्रीय न्यास ने 30 दिसम्बर 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाया जिसमें कार्यक्रम निदेशक, श्री यू. के. शुक्ला, उप निदेशक, श्री नवनीत कुमार और स्टाफ के सदस्य भी शामिल थे। इस आयोजन के दौरान न केवल राष्ट्रीय न्याच के रोडमैप पर चर्चा की गई अपितु राष्ट्रीय न्यास के कार्यकलापों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

राष्ट्रीय न्यास स्थापना दिवस का आयोजन – 30 दिसम्बार 2020

16. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय न्यास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विभिन्न प्रावधानों का पालन कर रहा है। इसके अनुरूप अपील का अधिकारी एवं लोक सूचना पदाधिकारी का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है–

अपील प्राधिकारी
श्री यू. के. शुक्ल
कार्यक्रम निदेशक
राष्ट्रीय न्यास
16 बी, बड़ा बाजार मार्ग,
पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली– 110060
टेली: 011-43187804
ई–मेल: ala@thenationaltrust.in

लोकसूचना पदाधिकारी
श्री नवनीत कुमार
उपनिदेशक
राष्ट्रीय न्यास
16 बी, बड़ा बाजार मार्ग,
पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली– 110060
टेली: 011-43187805
ई–मेल: po@thenationaltrust.in

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, 2020–21 के दौरान, राष्ट्रीय न्यास को 21 सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदन ऑफलाइन और 88 सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए । इस वर्ष के दौरान, 5 ऑनलाइन और 1 ऑफलाइन अपील प्राप्त हुई है। सभी आवेदनों और अपीलों का समय सीमा के भीतर निपटान कर दिया गया है।

17. अस्वीकरण

हिंदी और अंग्रेजी रिपोर्ट के बीच सामग्री के संबंध में किसी भी अंतर/विसंगति के मामले में, किसी भी निष्कर्ष को निकालने के लिए अंग्रेजी संस्करण को स्वीकार/प्रचलित किया जाएगा।

वार्षिक लेखा
2020-21

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र

(सभी आंकड़े रूपयों में)

संचित निधि/पूंजी निधि और देनदारियां:	**अनुसूची**	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
संचित निधि	1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
पूंजी निधि	1	271,337,682.00	182,581,804.00
आरक्षित और अधिशेष	2	0.00	0.00
निर्धारित अक्षय निधि	3	2,810,085.00	2,810,085.00
सुरक्षित ऋण और उधार	4	0.00	0.00
असुरक्षित ऋण और उधार	5	0.00	0.00
स्थगित ऋण देयताएं	6	0.00	0.00
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	16,223,507.00	14,051,539.00
कुल:		**1,290,371,274.00**	**1,199,443,428.00**
संपत्ति:			
अचल संपत्ति	8	2,179,150.00	2,361,367.00
निवेश–संचित निधि से	9	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
अन्य निवेश	10	60,000,000.00	60,000,000.00
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम राशि आदि	11	228,192,124.00	137,082,061.00
विविध खर्च		0.00	0.00
(बट्टा खाते में या समायोजित नहीं की गयी सीमा तक)			
कुल:		**1,290,371,274.00**	**1,199,443,428.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ	25		

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(सभी आंकड़े रूपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	(Rs.)	(Rs.)	I. व्यय	(Rs.)	(Rs.)
I. प्रारम्भिक शेष			क) **स्थापना व्यय** अनुसूची 20 के अनुसार Rs. 2,44,08,235/- **घटायें:** वेतन और मजदूरी देय **रु. 15,12,599 ; घटायें:** D.C.R.G. /अवकाश नकदीकरण **रु. 13,06,458/-**(6,21,677+ 6,84,781) **जोड़े:** D.C.R.G. अवकाश नकदीकरण रु. 14,79,746/- (6,22,323+8,57,423)	**23,068,924.00**	**24,296,424.00**
क) हाथ में नकदी	**14,605.00**	**0.00**	ख) प्राशासनिक व्यय (तदनुसार 21 अनुसूची के लिए) रु. 1,38,58,015/- **घटायें:** किराया भुगतान रु. 7,80,000/-	**13,078,015.00**	**13,937,894.00**
ख) बैंक शेष			ग) देय धनराशि (पिछले वर्ष योजनाओं से संबंधित बकाया)	**0.00**	**8,515,325.00**
i) चालू खाते में	**0.00**	**0.00**	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिये निधियों के एवज में भुगतान**		
ii) बचत खातों में	**116,986,381.00**	**102,133,683.00**	क) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान (अनुसूची 22 के अनुसार)	**293,232,149.00**	**239,858,327.00**
iii) एफ.सी.आर.ए A/c.	**210,085.00**	**58,741.00**	**III. जमा और निवेश राशि**		
II. प्राप्त अनुदान			क) आर बी आई बॉन्ड में निवेश	**0.00**	**0.00**

राज्य सरकार से	**0.00**	**0.00**	b) अन्य निवेश (बैंक सावधि जमा)	**0.00**	**0.00**
III. निवेश पर आय			**IV. अचल परिसम्पत्तियों पर व्यय और चल रही कार्य पूंजी**		
a) आर बी आई बॉन्ड पर ब्याज	**84,800,000.00**	**84,800,000.00**	a) अचल संपत्तियों की खरीद	**187,405.00**	**239,365.00**
b) अन्य निवेश सावधि जमा पर ब्याज रु. 0.00 **जोड़ा :** उपार्जित ब्याज की जमा राशि: Rs. 1,41,33,333/- **घटाऐं:** उपर्जित ब्याज की राशि का अन्त रु. 1,41,33,333/-	**0.00**	**0.00**	**V. अधिशेष राशि/कर्ज वापसी**		
IV. प्राप्त ब्याज			a) भारत सरकार को	**0.00**	**0.00**
क) बैंक बचत पर (बचत बैंक) **V अन्य प्राप्तियाँ/ आय** (उल्लेखित) क) निरमाया शुल्क	**6,473,342.00**	**2,384,933.00**	b) राज्य सरकार को **VI. वित्त प्रभार (ब्याज)**	**0.00**	**0.00**
i) नामांकन/ नवीनीकरण	**25,602,270.00**	**11,753,365.00**	(अनुसूचि 23 के अनुसार)	**0.00**	**0.00**
ख) समा. न्या. व अधि. मंत्रा. से प्राप्त सहायता अनुदान	**298,000,000.00**	**200,000,000.00**	**VII. अन्य भुगतान (उल्लेखित)**		
ग) दान	**5,341,708.00**	**3,049,036.00**	**1 कार्यालयों को प्रेषितः**		
			a) जीवन बीमा निगम	**58,648.00**	**23,535.00**
घ) पंजीकरण शुल्क	**130,002.00**	**190,050.00**	b) पीएफआरडीए नई पेंशन योजना के लिए	**2,548,157.00**	**2,072,038.00**
ङ) आर.टी.आई.शुल्क	**0.00**	**20.00**	c) A.G. उड़ीशा	**4,882,960.00**	**628,460.00**
च) विविध प्राप्तियाँ/आय	**0.00**	**60.00**	d)निदेशालय सम्पदा	**690,120.00**	**690,120.00**
			e)केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	**12,000.00**	**12,000.00**
VI. राशि उधार			f) H.B.Advance (S.K. Thukral)	**276,577.00**	**0.00**
VII. अन्य कोई रसीद					
क) लोतिका सरकार एंडोमेंट फंड (ब्याज)	**190,000.00**	**0.00**			
VIII. अन्य कार्यालयों को भेजी गयी रकम की वसूली			**2. अन्य विविध भुगतान**		
क) सेवाओं के लिए विविध अग्रिम राशि	**36,868.00**	**453,106.00**	a) विविध अग्रिम	**36,868.00**	**624,906.00**

ख) ए.जी. (उडीसा)	**4,882,960.00**	**628,460.00**	ख) चिकित्सा अग्रिम	**0.00**	**38,000.00**
ग) जीवन बीमा निगम	**59,278.00**	**23,535.00**	ग) लोतिका सरकार एंडॉमेंट फंड (पुरस्कार)	**190,000.00**	**0.00**
घ) नई पेंशन योजना (सीपीएस) के लिए रिकवरी	**2,548,157.00**	**2,072,038.00**	घ) यात्रा अग्रिम	**72,479.00**	**255,000.00**
ड) सम्पदा निदेशालय	**690,120.00**	**690,120.00**	ड) आकस्मिक अग्रिम	**0.00**	**325,912.00**
च) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	**12,000.00**	**12,000.00**	च) एलटीसी अग्रिम	**284,511.00**	**289,674.00**
छ) प्रधानमंत्री राहतकोष	**36,397.00**	**0.00**	छ) त्यौहार अग्रिम	**60,000.00**	**0.00**
ज) कर्मचारी परिवहन भत्ता वसूली	**252,720.00**	0.00	ज) प्रधानमंत्री राहतकोष	**36,397.00**	**0.00**
झ) एच.बी. अग्रिम (ब्याज)	**276,577.00**	0.00	i) कर्मचारी परिवहन भत्ता वसूली	**252,720.00**	**0.00**
IX. वसूली, रिफंड और अग्रिम का समायोजन			j) टीडीएस (ठेकेदार)	**1,154,285.00**	**1,314,835.00**
क) सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्मों	**0.00**	**0.00**	k) टीडीएस (वेतन)	**1,781,949.00**	**1,963,430.00**
ख) आकस्मिक अग्रिम	**83,279.00**	**237,000.00**	l) संविदा कर्मचारी सुरक्षा राशि जमा	**10,000.00**	**0.00**
ग) चिकित्सा अग्रिम	**0.00**	**38,000.00**	m) फर्मों की जमाराशियां: (मैसर्स अल्फा प्रिंटोग्रफिक्स)	**30,000.00**	**0.00**
घ) यात्रा अग्रिम	**0.00**	**325,912.00**			
ड) एलटीसी रिफंड (Adj.)	**419,605.00**	**117,256.00**	**VIII. जमा शेष**		
च) मोटर वाहन अग्रिम Int.)				**0.00**	**14,605.00**
छ) सभा भवन अग्रिम	**46,512.00**	**28,896.00**	क) हाथ में नकदी:		
ज) त्यौहार अग्रिम	**24,000.00**	**0.00**	i) चालू खातों में	**0.00**	**0.00**
ञ) टीडीएस (ठेकेदार)	**1,238,512.00**	**1,314,835.00**	ii) बचत खातों/स्वीप खातों में	**208,200,963.00**	**117,196,466.00**
ट) टीडीएस (वेतन)	**1,789,749.00**	**1,963,430.00**			
ठ) अवधि बाधित चेक	**0.00**	**21,840.00**			
कुल	**550,145,127.00**	**412,296,316.00**	**कुल**	**550,145,127.00**	**412,296,316.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(सभी आंकड़े रूपयों में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
बिक्री \सेवाओं से आय	12	0.00	0.00
अनुदान\सब्सिडी\प्रायोजन	13	298,000,000.00	200,000,000.00
शुल्क/ सदस्यता	14	25,732,272.00	11,943,415.00
निवेश से आय (आरबीआई बांड में)	15	84,800,000.00	84,800,000.00
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	0.00	0.00
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	17	6,473,342.00	2,384,933.00
अन्य आय	18	5,618,285.00	3,049,116.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/ कमी	19	0.00	0.00
कुल (ए)		**420,623,899.00**	**302,177,464.00**
व्यय			
स्थापना खर्च	20	24,408,235.00	24,954,200.00
प्रशासनिक व्यय आदि	21	13,858,015.00	13,937,894.00
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	293,232,149.00	239,858,327.00
ब्याज, आदि	23	0.00	0.00
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुसार वर्ष के अंत में शुद्ध योग)	8	369,622.00	412,221.00
कुल (बी)		**331,868,021.00**	**279,162,642.00**
बकाया आय की व्यय पर आधिक्य (ए–बी)		**88,755,878.00**	**23 ,014,822.00**
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)		0.00	0.00
सामान्य रिजर्व/ पूंजी रिजर्व में स्थानांतरण		**88,755,878.00**	**23,014,822.00**
पूंजीगत निधि/रिजर्व में परिसंपत्तियों की शेष राशि की लागत			
विशिष्ट लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ	25		

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–1

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 1: संचित/पूंजी निधि	**वर्तमान वर्ष**		**विगत वर्ष**	
संचित निधि				
वर्ष के प्रारम्भ में जमा राशि	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
जोड़ें: संचित निधि की दिशा में योगदान	0.00		0.00	
जोड़ना/(घटाना): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय का शेष आय/(व्यय)	0.00		0.00	
वर्ष के अंत में शेष राशि	1,000,000,000.00	**1,000,000,000.00**	1,000,000,000.00	**1,000,000,000.00**
पूंजी निधि/आरक्षित निधि				
वर्ष के आरंभ में शेष राशि:	182,581,804.00		159,566,982.00	
जोड़ें: आय से अधिक व्यय	88,755,878.00		23,014,822.00	
कटौती:–	0.00		0.00	
वर्ष के अंत में शेष राशि:	271,337,682.00	**271,337,682.00**	182,581,804.00	**182,581,804.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–2

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची–2 भंडार और अधिशेषः	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
1. पूंजी आरक्षित				
अंतिम खाते के अनुसार				
वर्ष के दौरान अतिरिक्त				
कमः वर्ष के दौरान कटौती				
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित				
अंतिम खाते के अनुसार				
वर्ष के दौरान अतिरिक्त				
कमः वर्ष के दौरान कटौती				
3. विशेष आरक्षित				
अंतिम खाते के अनुसार				
वर्ष के दौरान अतिरिक्त राशि				
कमः वर्ष के दौरान कटौती				
4. सामान्य आरक्षित				
अंतिम खाते के अनुसार				
कमः पूंजी निधि के अंतर्गत दर्शाए गए पिछले वर्षो में खरीदी गई अचल संपत्तियों की लागत का समायोजन				
इसके अलावा वर्ष के दौरान पूंजी निधि के अंतर्गत व्यय से अधिक आय का रिजर्वेशन करने के लिए				
पूंजीगत निधि में हस्तांतरित अचल सम्पत्तियों की लागत/जमा				
कमः वर्ष के दौरान कटौती				
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–3

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची–3 निर्धारित\ अक्षयनिधिः	**निधि आधारित आंकड़े**		**योग**	
	वर्तमान वर्ष	**विगत वष**	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वष**
क) एफसीआरए (FCRA) की प्रारंभिक जमा राशि–रु 2,10,085/-; डॉ लोतिका सरकार अक्षय निधि – रु.26,00,000/-)	**2,810,085.00**	**2,751,344.00**	**2,810,085.00**	**2,751,344.00**
ख) वर्ष के दौरान धन के अलावा				
i) एफ.सी.आर.ए. वी.एस.ओ.	0.00	58,741.00	0.00	58,741.00
ii) डॉ लोतिका सरकार अक्षय निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (ख)	**0.00**	**58,741.00**	**0.00**	**58,741.00**
ग) निधियों के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय				
हस्तांतरित विविध प्राप्तियाँ				
i) एफ.सी.आर.ए.	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) डॉ लोतिका सरकार अक्षय निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (ग)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
घ) वर्ष के अंत में शेष (क+ख+ग)				
i) एफ.सी.आर.ए.	210,085.00	210,085.00	210,085.00	210,085.00
ii) डॉ लोतिका सरकार अक्षय निधि	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
कुल (ड़)	**2,810,085.00**	**2,810,085.00**	**2,810,085.00**	**2,810,085.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–4, 5 व 6

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 4: सुरक्षित ऋण और उधार;	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वष**	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वष**
1. केंद्र सरकार	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	**0.00**	0.00
3. वित्तीय संस्थान	0.00	0.00	**0.00**	0.00
4. बैंक	0.00	0.00	**0.00**	0.00
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	0.00	0.00	**0.00**	0.00
6. ऋण पत्र और बॉन्ड	0.00	0.00	**0.00**	0.00
7. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	**0.00**	0.00
अनुसूची 5: असुरक्षित ऋण और उधार;				
1. केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. वित्तीय संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
4. बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00
क) मीयादी ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00
6. ऋण पत्र और बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
7. सावधि जमा	0.00	0.00	0.00	0.00
8. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00
नोट: एक वर्ष के अंतर्गत देय राशि				
अनुसूची 6: स्थगित ऋण देयताए;	0.00	0.00	0.00	0.00
a) पूंजीगत उपकरणों और अन्य संपत्तियों के हाइपोथेकेशन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
b) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00

नोट: एक वर्ष के अंतर्गत देय राशि

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–7

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 7: वर्तमान देयताएँ और प्रावधान;	**वर्तमान वर्ष**		**विगत वर्ष**	
A. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां	0.00		0.00	
2. विविध लेनदार				
a) जमा सुरक्षा राशि (फर्मों द्वारा रु.1,85,000/- व संविदा कर्मचारी द्वारा रु 52,000/-)	237,000.00		277,000.00	
3. वेतन और मजदूरी बकाया(रु 13,56,099 + 1,56,500/-)	1,512,599.00		0.00	
4. किराया देय: कार्यालय भवन	780,000.00		0.00	
5. सांविधिक देयताएं	0.00		0.00	
6. अन्य	0.00	2,529,599.00	0.00	277,000.00
कुल (क)	**2,529,599.00**	**2,529,599.00**	**277,000.00**	**277,000.00**
B. प्रावधान				
1. कर लगाने के लिए (टीडीएस–ठेकेदार रु 84,227+ टीडीएस -सैलरी Rs.7,800/-)	92,027.00	92,027.00	0.00	
2. ग्रेच्युटी	6,402,235.00	6,402,235.00	6,402,881.00	
3. अवकाश के नकदीकरण के लिए प्रावधान	7,051,683.00	7,051,683.00	7,224,325.00	
4. अन्य (अवधि बाधित चेक पर देयताएं)	147,333.00	147,333.00	147,333.00	
5. एल.आई.सी.	630.00	630.00	0.00	
कुल (ख)	**13,693,908.00**	**13,693,908.00**	**13,774,539.00**	**13,774,539.00**
कुल (क+ख)	**16,223,507.00**	**16,223,507.00**	**14,051,539.00**	**14,051,539.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–8

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 8: अचल सम्पतियाँ	कुल खंड				मूल्यह्रास				कुल शुद्ध संपत्ति	
विवरण A. अचल संपत्ति	लागत/वर्ष की शुरूआत में	वर्ष के दौरान बढोत्तरी	वर्ष के दौरान निपटारा	लागत मूल्यांकन वर्ष के अंत में	वर्ष की शुरूआत में	वर्ष के दौरान बढोत्तरी	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष अंत तक कुल	वर्तमान वर्ष के के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. इमारतें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. फर्नीचर, फिक्सर	3,643,180.00	35995.00	0.00	3,679,175.00	2,298,816.00	138,036.00	0.00	2,436,852.00	1,242,323.00	1,344,364.00
5. कार्यालय उपकरण	2,964,374.00	0.00	0.00	2,964,374.00	2,010,367.00	143,101.00	0.00	2,153,468.00	810,906.00	954,007.00
6. कंप्यूटर/बाहरी उपकरण	4,737,459.00	151410.00	0.00	4,888,869.00	4,688,077.00	80,317.00	0.00	4,768,394.00	120,475.00	49,382.00
7. पुस्तकालय हेतु पुस्तकें	273,229.00	0.00	0.00	273,229.00	259,615.00	8,168.00	0.00	267,783.00	5,446.00	13,614.00
8. प्रकाशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. अन्य अचल संपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	11,618,242.00	187,405.00	0.00	11,805,647.00	9,256,875.00	369,622.00	0.00	9,626,497.00	2,179,150.00	2,361,367.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–9 व 10

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 9: संचय निधि से निवेश	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	0.00	0.00
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00
3. हस्सेदारी (Shares)	0.00	0.00
4. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	0.00	0.00
5. सहायक एवं संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00
6. अन्य (निर्दिष्ट): (i) आरबीआई बांड में जमा (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा	1,000,000,000.00 0.00	1,000,000,000.00 0.00
कुल	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**
अनुसूची 10: अन्य निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में (आरबीआई बांड)	60,000,000.00	60,000,000.00
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00
3. हिस्सेदारी	0.00	0.00
4. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	0.00	0.00
5. सहायक एवं संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00
6. अन्य (निर्दिष्ट): राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि/फ्लेक्सी जमा	0.00	0.00
कुल	**60,000,000.00**	**60,000,000.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–11

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची–11: वर्तमान संपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि:	**वर्तमान वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
A- वर्तमान संपत्तियां:				
1. सूची:				
a) संग्रहित एवं बाहरी	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
b) खुली सहायक सामग्री	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
c) स्टाक–इन–ट्रेड (प्रकाशन)	0.00		0.00	
आरंभिक स्टॉक	0.00		0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.00		0.00	
घटाएं : मुफ्त वितरण	0.00		0.00	
घटाएं: नकदी हेतु विक्रय	0.00		0.00	
वर्ष के बंद में जमा शेष	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
2. विविध देनदार:				
a) ऋण छह माह से अधिक के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
b) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
3. उपलब्ध शेष नकदी (चेक/ड्राफ्ट और रकम सहित)	0.00	0.00	14605.00	14605.00
4. बैंक बैलेंस:				
a) अनुसूची बैंकों के साथ:				
- चालू खातों पर	0.00		0.00	
- जमा खातों पर	0.00		0.00	
- बचत खातों पर	208,200,963.00	208,200,963.00	117,196,466.00	117,196,466.00
b) गैर–अनुसूची बैंकों के साथ:	0.00			
- चालू खातों पर	0.00		0.00	0.00

- जमा खातों पर	0.00		0.00	0.00
- बचत खातों पर	0.00	0.00	0.00	0.00
5. डाकघर–बचत खाता	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग (क)	**208,200,963.00**	**208,200,963.00**	**117,211,071.00**	**117,211,071.00**
B. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां				
1. अग्रिमः				
(a) आकस्मिक अग्रिम	7,200.00	7,200.00	18,000.00	18000.00
2. अग्रिम और अन्य नकद में वसूली योग्य राशि या दूसरे प्रकार में प्राप्त होने वाला मूल्य				
(a) पूंजी खाते पर	0.00		0.00	0.00
(b) अन्य पूर्व भुगतान	0.00		0.00	
(i) *मेसर्स एनएचएफडीसी(N.H.F.D.C.)(बढ़ते कदम अम्बाला के लिए) 3,33,000/- *मेसर्स एनएसकेएफडीसी(N.S.K.F.D.C.)दिल्ली, बढ़ते कदम के तहत अम्बाला और कर्नाटक में प्रदर्शनियों के लिए रू. Rs. 9,33,973/- *विज्ञान भवन, नई दिल्ली Rs. 2,15,800/-	1,482,773.00		1,482,773.00	
(ii) डाक भेजने के लिए: मेसर्स शांति इंटरनेशनल Rs. 22,242/- (बढ़ते कदम सामग्री) मेसर्स एम.आर.एस. इंटरनेशनल Rs. 1,35,000/- (–)do–	157,242.00		157,242.00	
(iii) कर्मचारियों के लिए अग्रिम : H.B.A. - 2,37,289/- L.T.C. Rs. 37,324/-; Festival Advance Rs.36,000/-	310,613.00		179,642.00	
(iv) सुरक्षा जमा राशि (किराया)	3,900,000.00	5,850,628.00	3,900,000.00	5,719,657.00
3. उपार्जित आय				
a) आरबीआई बॉन्ड्स में से निवेश पर	14,133,333.00		14,133,333.00	
b) अन्य निवेश पर	0.00		0.00	
c) भारतीय स्टेट बैंक–प्रोत्साहन राशि	0.00		0.00	
d) सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय (शासकीय अनुदान)	0.00	14,133,333.00	0.00	14,133,333.00
4. दावा प्राप्त करने योग्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग (ख)		**19,991,161.00**		**19,870,990.00**
कुल योग (क + ख)		***228,192,124.00***		***137,082,061.00***

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–12 व 13

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 12: बिक्री/सेवाओं से आय:	**वर्तमान वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
1. बिक्री से आय				
a) तैयार माल की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
b) कच्चे माल की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
c) स्क्रैप की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
2. सेवाओं से आय				
a) श्रम और संसाधन प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00
b) पेशेवर/परामर्श सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00
c) एजेंसी आयोग और ब्रोकरेज	0.00	0.00	0.00	0.00
d) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	0.00	0.00	0.00	0.00
e) अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल				
अनुसूची 13: अनुदान/सब्सिडी (स्थिर अनुदान और प्राप्त सब्सिडी) (Irrevocable grants & subsidies received)				
1. केंद्र सरकार (सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से बजटीय सहयोग)	298,000,000.00	298,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
2. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से (जागरूकता सृजन प्रचार के तहत कार्यशालाओं के लिए)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. सरकारी एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00
4. संस्थान/कल्याण निकाय	0.00	0.00	0.00	0.00
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00
6. प्रायोजकों	0.00	0.00	0.00	0.00
7. अन्य:	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**298,000,000.00**	**298,000,000.00**	**200,000,000.00**	**200,000,000.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–14 व 15

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची–14 फीस/सदस्यता से आय	**वर्तमान वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
1. प्रवेश शुल्क	0.00		0.00	
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	0.00		0.00	
3. सेमीनार/कार्यक्रम शुल्क	0.00		0.00	
4. निरामय–स्वास्थ्य बीमा				
नामांकन/नवीकरण शुल्क	25,602,270.00		11,753,365.00	
हंस फाउंडेशन द्वारा योगदान	0.00		0.00	
अन्य वसूली	0.00	25,602,270.00	0.00	11,753,365.00
5. पंजीयन शुल्क	130,002.00	130,002.00	190,050.00	190,050.00
कुल	**25,732,272.00**	**25,732,272.00**	**11,943,415.00**	**11,943,415.00**
अनुसूची–15: निवेश से आय:				
निवेश पर आय				
1. ब्याज				
क) आरबीआई बांड पर	84,800,000.00	84,800,000.00	84,800,000.00	84,800,000.00
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	0.00		0.00	
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	0.00		0.00	
कुल	**84,800,000.00**	**84,800,000.00**	**84,800,000.00**	**84,800,000.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–16 व 17

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 16–रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	**वर्तमान वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
1) रॉयल्टी से आय	0.00		0.00	
2) प्रकाशन से आय: प्रकाशन की बिक्री /	0.00		0.00	
3) अन्य (निर्दिष्ट): विविध कार्टिज (Cartridge) आदि की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**		**0.00**	
अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज				
1) मीयादी जमा पर				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00		0.00	
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00		0.00	
ग) संस्थाओं के साथ	0.00		0.00	
घ) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
2) बचत खातों पर				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	6,473,342.00		2,384,933.00	
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00		0.00	
ग) संस्थाओं के साथ	0.00		0.00	
घ) अन्य	0.00	6,473,342.00	0.00	2,384,933.00
3) ऋणों पर				
क) कर्मचारियों को	0.00		0.00	
ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
4) देनदारी एवं अन्य प्राप्त राशियों पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**6,473,342.00**	**6,473,342.00**	**2,384,933.00**	**2,384,933.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–18 व 19

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 18– अन्य आय	**वर्तमान वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
1. परिसंपत्तियों के विक्रय/निपटान पर लाभ				
क) स्वामित्व परिसंपत्ति	0.00		0.00	
ख) अनुदान से अर्जित परिसंपत्ति, या निःशुल्क प्राप्त	0.00		0.00	
2. आरबीआई बांड में जमा पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि	0.00		0.00	
3. दान	5,341,708.00		3,049,036.00	
4. विविध प्राप्तियाँ/आय	276,577.00		60.00	
5. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क	0.00	5,618,285.00	20.00	3,049,116.00
कुल		**5,618,285.00**		**3,049,116.00**
अनुसूची 19–जारी कार्य एवं तैयार माल के भंडार में बढ़ोत्तरी/कमी				
क) शेष माल				
- तैयार माल	0.00	0.00	0.00	0.00
- कार्य–प्रगति में	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) कमः आरंभिक भंडार	0.00	0.00	0.00	0.00
- तैयार माल	0.00	0.00	0.00	0.00
- कार्य–प्रगति में	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध बढ़ोत्तरी/कमी (क – ख)	0.00	0.00	0.00	0.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–20

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मेहनताना (वेतन रू -1,70,55,529 + संविदा कर्मचारियों का वेतन रू 22,24,428/-)	19,279,957.00	19,619,466.00
ख) भत्ते और बोनस (बोनस - 55,264/-+ Hon. 83,000/-)	138,264.00	154,672.00
ग) कर्मचारी कल्याण ब्यय (एल.टी.सी.)	478,605.00	157,837.00
घ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर व्यय-DCRG/ अवकाश नकदीकरण रु. 21,93,082 (+) नई पेंशन योजना रु. 16,29,108/-	3,822,190.00	4,352,622.00
ङ) अन्यः स्थापना संबंधी व्यय (चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति रु. 4,37,491/- + शिक्षण शुल्क 2,44,878/- + अखबार व्यय प्रतिपूर्ति – रु. 6,850/-)	689,219.00	669,603.00
कुल	24,408,235.00	24,954,200.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–21

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 21 – प्रशासनिक व्यय आदि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) बिजली	471,070.00	640,070.00
ख) जल प्रभार	7,817.00	23,265.00
ग) टेलीफोन शुल्क	478,940.00	559,069.00
घ) मरम्मत एवं रखरखाव	85,456.00	163,542.00
ङ) किराया, दर एवं कर	10,140,000.00	9,360,000.00
च) चालू वाहन और रखरखाव	570,247.00	631,032.00
छ) डाक प्रभार	5,880.00	40,164.00
ज) मुद्रण एवं स्टेशनरी	305,046.00	573,141.00
झ) यात्रा और स्थानीय यात्रा (13178)	13,178.00	654,055.00
ञ) लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	167,180.00	147,255.00
ट) आतिथ्य व्यय / व्यय–विषयक	6,157.00	95,988.00
ठ) पेशेबर शुल्क	12,600.00	100,850.00
द) फोटोकॉपी शुल्क	0.00	1,314.00
ध) अन्य विविध खर्च +बैंक शुल्क +liveries etc सहित (604866+962268+12310+15000)	1,594,444.00	948,149.00
कुल	**13,858,015.00**	**13,937,894.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

अनुसूची–22 व 23: 31 मार्च 2021 वर्ष के अंत तक बैलेंस शीट का हिस्सा

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 22–अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) कार्यक्रम एवं परियोजनाएं	**राशि (रु.)**	
(i) दिशा एव विकास	127,050,748.00	74,469,500.00
(ii) समर्थ एव घरौंदा	69,939,684.00	34,535,000.00
(iii) सहयोगी —केयर एसोसिएट प्रशिक्षण योजना	0.00	0.00
(iv) निरामय – स्वास्थ्य बीमा योजना	88,108,851.00	115,267,129.00
(v) ज्ञान प्रभा	0.00	105,160.00
(iv) संभव	0.00	0.00
(vii) प्रेरणा–विपणन सहायता	0.00	0.00
(viii) बढ़ते–कदम	128,920.00	0.00
(ix) संपर्क - In the hour of Need	25000.00	1356955.00
कुल (क)	**285,253,203.00**	**225,733,744.00**
ख) जागरूकता और प्रचार		
(i) प्रदर्शनी और रोजगार मेला	0.00	5,734.00
(ii) कार्यशालाओं / सेमिनार	150,000.00	1,369,480.00
(iii) वेबसाईट एवं साफ्टवेयर डेवलपमेंट	2,271,321.00	2,401,853.00
कुल (ख)	**2,421,321.00**	**3,777,067.00**
ग) संस्थान व्यवस्था, बैठकें और अन्य		
(i) राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (SNAC)/राज्य नोडल एजेंसी पार्टनर (SNAP)	4,416,797.00	8,246,674.00
(ii) स्थानीय स्तरीय समिति	829,700.00	797,500.00
(iii) वार्षिक आम बैठक	155,351.00	274,833.00
(iv) बोर्ड बैठकें	71,948.00	481,024.00
(v) अन्य विविध बैठकें	83,829.00	547,485.00
कुल (ग)	**5,557,625.00**	**10,347,516.00**
घ) अनुसंधान अध्ययन एवं सर्वेक्षण		
अनुसंधान एवं सर्वेक्षण	0.00	0.00
कुल (घ)	**0.00**	**0.00**
वृहत कुल (क) से (घ)	**293,232,149.00**	**239,858,327.00**
अनुसूची 23–ब्याज आदि		
क) स्थिर ऋणों पर	0.00	0.00
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	0.00	0.00
ग) अन्य (निर्दिष्ट): बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाने हेतु शुल्क	0.00	0.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तुलना पत्र के रूप में अनुसूची–24

अनुसूची 24 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **लेखांकन परम्परा:**

वित्तीय विवरण वर्णनात्मक परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं बशर्ते कि वे लेखांकन की प्रोद्भूत विधि से तैयार न किए गए हों।

2. **वस्तुसूची मूल्यांकन:**

2.1 स्टोर्स और स्पेयर्स (मशीनरी स्पेयर्स सहित) का मूल्यांकन लागत आधार पर किया जाता है।

2.2 कच्चा माल, अर्द्ध निर्मित समान तथा निर्मित सामान की गणना कम लागत तथा कुल प्राप्ति मूल्य के आधार पर की जाती है। लागत का आधार भारित औसत मूल्य है। निर्मित तथा अर्द्ध निर्मित सामान की लागत माल, श्रम और संबंद्ध ऊपरी खर्चों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

3. **निवेश:**

3.1 "दीर्घावधि निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, कमी का प्रावधान यदि कोई हो तो, इस प्रकार के निवेशों की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

3.2 "चालू" के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत तथा स्पष्ट मूल्य पर किए जाते हैं इस प्रकार के निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान निवेश के लिए अलग–अलग विचार करके किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली (ब्रोक्रेज), अंतरण स्टाम्प जैसे उपार्जन व्यय शामिल है।

4. **उत्पाद शुल्क**

निर्यात के अलावा स्वयं के लिए तैयार किए गए सामान के उत्पाद शुल्क की देयता वर्ष के अंत में उत्पादन के पूरा होने तथा उत्पाद कर योग्य निर्मित सामान यदि कोई हो – के प्रावधान पर तय की जाती है।

5. **अचल परिसम्पत्तियां :**

5.1 अचल परिसम्पत्तियां की अधिग्रहण खर्च की गणना से संबद्ध आंतरिक, भाड़ा, शुल्क तथा करों और आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्ययों सहित लागत आधार पर की जाती है। निर्माण आधारित परियोजनाओं के मामले में संबद्ध परिचालन पूर्व व्यय (वित्तीय परियोजना के पूरा होने से पूर्व इसके ब्याज सहित) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के मूल्य का हिस्सा माने जाते हैं।

5.2 गैर–मौद्रिक अनुदान (संचय निधि के अतिरिक्त) के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्तियों को पूँजी निधि/आरक्षित निधि को अनुवर्ती ऋण के आधार पर बताए गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

6. मूल्य ह्रास :

सम्पत्तियों पर ह्रास की गणना आयकर अधिनियम के अनुसार दर्शायी गयी दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष के समापन पर परिसम्पत्तियों के परिमाण पर की गई है। वर्ष के दौरान रूपये 3,69,622/– (अनुसूची–8) की राशि की आय–व्यय के लेखे में बट्टा खाते में डाला गया है।

7. विविध प्रकार के खर्च

स्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, तो वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिये लिखा गया है।

8. निरामय–स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु लेखा–जोखा

"निरामय" पर किए गए व्यय का लेखा तथा शुल्क आदि के मद में वसूली गई राजस्व को एकल खाता लेखा "स्वास्थ्य बीमा योजना" के अन्तर्गत 'कार्यक्रम एवं परियोजनाएं" शीर्षक से में दर्ज किया गया है। तथापि, परियोजना पर किए गए कुल व्यय को 'कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ' के अन्तर्गत अनुसूची–22 में दिखाया गया है, तथा वर्ष के दौरान राजस्व वसूली की आय के रूप में "फीस/सदस्यता से आय" के अन्तर्गत अनुसूची–14 में दिखाया गया है।

9. सरकारी अनुदान/सहायता :

9.1 सरकारी अनुदान के रूप में किसी योजना लगाने के लिये लागत पूंजी के योगदान को सुरक्षित पूंजी की तरह लिया जाता है तथा अधिग्रहित विशेष अचल सम्पत्ति के संदर्भ में अनुदान को संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत के रूप में दिखाया गया है।

9.2 अन्य सरकारी अनुदान को आय के रूप में "अनुदान/सब्सिडी/प्रायोजक" शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची–13 में दिखाया गया है।

10. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

10.1 विदेशी मुद्रा में अंकित लेनदेन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर आधारित हैं।

10.2 वर्तमान संपत्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देनदारियों को वर्ष के अंत तक प्रचलित विनिमय दर में परिवर्तित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि अचल परिसंपत्तियों की लागत के लिए समायोजित की जाती है, यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल संपत्ति से संबंधित है, और अन्य मामलों में राजस्व माना जाता है।

11. लीज

लीज किराया का व्यय, लीज के नियमानुसार किया गया है।

12. सेवा निवृत्ति लाभ

12.1 कर्मचारियों के सेवा निवृति की समाप्ति पर ग्रेच्यूटी के लिए अतिरिक्त देनदारी का प्रावधान 31.03.2021 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में किया गया है। इसके अलावा 31.03.2021 की समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अवकाश नकदीकरण का प्रावधान भी किया गया है।

12.2 नए अंशदायी पेंशन योजना के आरंभ होने के परिणाम स्वरूप, पेंशनरों के लाभ के लिये ये प्रावधान किया जा रहा है एवं नियमित रूप से P.F.R.D.A. के पास जमा किया जाता है।

लेखा अधिकारी

प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तुलना पत्र के रूप में अनुसूची–25

अनुसूची 25 : आकस्मिक देयताएं तथा लेखा टिप्पणियां :

1. आकस्मिक देयताएं :

1.1 संगठन के विरूद्ध दावे जो कि ऋण के रूप में प्रतिपादित नहीं किये गए : – रु0 शून्य (पिछले वर्ष रु0 शून्य)

1.2 निम्न के संबंध में :

– संगठन की ओर से/ की तरफ से दी गई बैंक गारंटी'–रु0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

– संगठन की ओर से बैंक द्वारा खोले गए क्रेडिट पत्र – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रु0 शून्य)

– बैंकों से छूट प्राप्त बिल–रु0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांग :

– आयकर – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

– बिक्री कर – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

– निगम कर – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

1.4 आदेशों के निष्पादन न करने हेतु संगठन द्वारा किये गये दावे – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते से पूरा किए जाने वाला अनुमानित मूल्य जिनके लिए कुल अग्रिमों की व्यवस्था नहीं की गई – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

3. पट्टा (लीज) संबंधी वचनबद्धताएं

प्लांट एवं मशीनरी के लिए पट्टा वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत किराए की भावी वचनबद्धताएं रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

4. चालू परिसम्पत्ति, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों का मूल्य सामान्य व्यावसायिक रूप से उगाही पर निर्भर करते हुए तुलन पत्र में दर्शायी गई कुल राशि के बराबर है।

5. **कराधान :**

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई आय कर योग्य नहीं थी, इसलिए आयकर का कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

6. **विदेशी मुद्रा लेन–देन**

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
6.1	आयात की गणना सी.आई.एफ. पर आधारित है		
	– निर्मित सामान की खरीद	–	–
	– कच्चा माल तथा संघटक (मार्गस्थ सहित)	–	–
	– पूंजीगत सामान	–	–
	– स्टोर्स, स्पयेर्स तथा उपभोज्य	–	–
6.2	विदेशी मुद्रा पर व्यय शून्य	शून्य	
	क) यात्रा	–	–
	ख) वित्तीय संस्थानों/बैंको को विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया रुपया/ब्याज शून्य	शून्य	–
	ग) अन्य व्यय :	–	–
	– बिक्री पर कमीशन	–	–
	– कानूनी तथा व्यावसायिक व्यय	–	–
	– विविध व्यय	–	–
6.3	अर्जन		
	– एफ. आई. बी. आधार पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य

7. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिकः

लेखा परीक्षकों के लिए	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
– कराधान मामल	0.00	0.00
– प्रबंधन मामल	0.00	0.00
– भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C.A.G.) द्वारा प्रमाणन	1,67,180.00	1,47,255.00
– अन्य	0.00	0.00

8. अनुवर्ती आंकड़ों को पिछले वर्ष के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया, इन्हें पुर्नसमूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया।

9. संलग्न 1 से 25 तालिकाएं 31 मार्च 2021 तक के तुलन पत्र तथा इस तारीख को समाप्त आय–व्यय खाते का समग्र भाग है।

लेखा अधिकारी

प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी